इकाई 1 ऐतिहासिक विकास

संरचना

1.0 प्रस्तावना

1.1 उद्देश्य

1.2 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की वृद्धि एवं विकास

1..2.1 वैश्विक : एक परिदृश्य

1.2.2 राष्ट्रीय : एक परिदृश्य

1.3 भारत में नीतिगत परिप्रेक्ष्य

1.3.1 भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) तथा इसके पश्चात

1.3.2 भावी परिप्रेक्ष्य

1.4 दूरस्थ शिक्षा का औचित्य

1.4.1 शिक्षा की पहुँच

1.4.2 शिक्षा की गुणवत्ता

1.4.3 शिक्षा की प्रासंगिकता

1.4.4 शिक्षा की लागत

1.5 शिक्षा का लोकतांत्रिकरण

1.5.1 शेक्षिक अवसरों की समानता

1.5.2 क्षेत्रीय विषमताओं का लघुकरण

1.5.3 सामाजिक एवं लैंगिक विषमताओं का लघुकरण

1.6 सारांश

1.7 ''अपनी प्रगति जाँचें'' प्रश्नों के उत्तर

1.8 संदर्भ ग्रन्थ

1.9 इकाई अंत अभ्यास

1.0 प्रस्तावना

पत्राचार पाठ्यक्रम से आरंभ होकर दूरस्थ शिक्षा विभिन्न चरणों से गुजरी है तथा विगत डेढ़ सौ वर्षों में धीरे-धीरे विकसित हुई है। ज्ञात आवश्यकताओं तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शिक्षा के लोकतांत्रिकरण हेतु सतत-प्रयासों के कारण एक पद्धति के रूप में दूरस्थ शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हुई तथा विश्व के लगभग सभी देशों में विस्तृत हुई। अब यह स्वयं को शिक्षा के क्षेत्र में गणनीय मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की व्यापक पद्धति के रूप में स्थापित कर लिया है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में मुक्त विद्यालय से लेकर मुक्त विश्वविद्यालय तक विभिन्न स्तरों पर दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा अपने कार्यक्रमों को प्रदान कर रही है जो अब लोकप्रिय है। इस प्रकार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति शिक्षा की परंपरागत पद्धति के समकक्ष, संपूरक तथा सहायक के रूप में है। यद्यपि, इसकी अवधारणा एवं कार्य सामान्य रूप में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी विकास तथा विशेष रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास से बहुत अधिक संबंधित रहा है।

इस इकाई में, आपको मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के ऐतिहासिक विकास, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इसके परिदृश्य के साथ इसके औचित्य तथा भावी परिप्रेक्ष्य पर एक

रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। अब उद्देश्यों पर ध्यान दीजिए जो आपको निर्देश देंगे कि वास्तव में यहाँ आप क्या सीखेंगे।

1.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात, आप :

- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के उद्भव एवं विकास का वर्णन कर सकेंगे;
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के परिदृश्य का चित्रण प्रस्तुत कर सकेंगे;
- भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के औचित्य एवं भावी परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा हेतु राज्य की नीतियों को प्रस्तुत कर सकेंगे; तथा
- शिक्षा के लोकतांत्रिकरण में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के महत्व की सराहना या कद्र कर सकेंगे।

1.2 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की वृद्धि एवं विकास

इस भाग में, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की वृद्धि एवं विकास को देखा जाए जो वास्तव में पूर्वर्ती दूरस्थ शिक्षा का रूपांतरित, विकसित तथा लोकप्रिय उपयोग है। दूरस्थ शिक्षा की जड़ें पत्राचार पाठ्यक्रमों में हैं जिनका अर्थ सामान्य रूप में अध्ययन सामग्री जो सामान्यतः व्याख्यात्मक टिप्पणियों के रूप में अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को डाक द्वारा भेजी जाती है। यह विचार इंग्लैण्ड में 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था।

पत्राचार अध्ययन का सूत्रपात्र सन् 1840 में इंग्लैण्ड के बाथ नामक स्थान पर उस समय हुआ जब इशाक पिटमैन ने अपना शार्ट हैन्ड (आशु लिपि) पाठ्यक्रम न्यू पैनी पोस्ट द्वारा आरंभ किया। यू.के. के अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार की स्थापना 1880 में हुई; यह वहाँ की सबसे प्राचीन पत्राचार शिक्षा संस्था थी। बीसवीं शताब्दी में यू. के. में अनेक पत्राचार शिक्षा संस्थाएं स्थापित हुईं। इन संस्थाओं से मुख्यतः डिग्री स्तर के उन बाह्य विद्यार्थियों को लाभ हुआ जो अपने घर पर पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा अध्ययन करते थे। फिर भी, कई कारणों से इन संस्थानों को विश्वविद्यालय संबंधित कालेजों के समकक्ष स्थान प्राप्त नहीं था।

1969 में यू. के. में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ और तत्पश्चात विश्व के विभिन्न देशों में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद दूर शिक्षा का विकास तीव्रता से हुआ; परिणामतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने अपना वृहद् स्थान बनाया। आइए अब इसके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर दृष्टिपात करें।

1.2.1 वैश्विक : एक परिदृश्य

यू.के. में 1969 ई. में मिल्टन केन्स नामक स्थान पर विश्व के प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। वास्तव में, उस समय के लेबर प्रधानमंत्री हेरॉल्ड विलसन को 1950 के दशक में उस समय के सोवियत गणराज्य के दौरे के पश्चात विचार आया कि एक हवा का विश्वविद्यालय खोला जाए। इसे कार्य रूप देने में अन्य दो दशक का समय लगा।

स्वतंत्र या मुक्त प्रवेश, बहु-माध्यम आधारित शिक्षण-अधिगम, क्रेडिट प्रणाली और क्रेडिट हस्तांतरण, गैर-परंपरागत पाठ्यक्रम और सबल सहायक प्रणाली यू.के. के मुक्त विश्वविद्यालय

की अद्भूत विशेषताएँ हैं। यह यूरोप और दुनिया भर में मुकत विश्वविद्यालयों के विकास को प्रेरति करता रहा है।

दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अमरीकी अनुभव कुछ भिन्न दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके वहाँ बहुत से नाम हैं जैसे : घर पर अध्ययन (होम स्टडी), बाह्य अध्ययन (एक्सटर्नल स्टडी), पत्राचार अध्ययन आदि। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम बीसवीं शताब्दी में आरंभ किए। इनके नाम है : शिकागो विश्वविद्यालय, विस्कोनसाइन विश्वविद्यालय, इल्लीनॉईस वेसलेयन विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, नेबरासका विश्वविद्यालय, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, पैनसिलवेनिया राज्य विश्वविद्यालय आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका में 60 से अधिक विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहे हैं। जो विश्वविद्यालय स्वतंत्र अध्ययन कार्यक्रम प्रदान करते हैं वे नेशनल विश्वविद्यालय सतत शिक्षा संगठन के स्वतंत्र अध्ययन खण्ड से संबंधित हैं।

दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाला एक अन्य प्रमुख देश आस्ट्रेलिया है। आस्ट्रेलिया में दूरस्थ शिक्षा की लोकप्रियता का कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है क्योंकि बहुत से द्वीप हैं जो एक दूसरे से दूर-दूर हैं। थोड़ी सी जनसंख्या का बहुत बड़े भाग में द्वीपों पर फैला होना औपचारिक शिक्षा संस्थाओं की कार्य प्रणाली के अनुकूल नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया को प्राथमिक, माध्यमिक तथा तीसरे स्तर (उच्च शिक्षा) पर पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम चलाने का बहुत लम्बे समय का अनुभव है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पत्राचार विद्यालय बच्चों को पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा 1 से 10 वर्षों तक की विद्यालयी शिक्षा देता है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर मेट्रिकुलेशन प्रणाली के तहत पृथक विद्यार्थी हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर, क्वीन्सलैण्ड विश्वविद्यालय सबसे पुरानी संस्था है जो 1911 से पत्राचार शिक्षा प्रदान कर रही है। आस्ट्रेलिया में पत्राचार शिक्षा की दोहरी कार्य प्रणाली अपनाई गई है। आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के संकायों के सदस्य नियमित संस्थागत विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं एवं साथ ही बाह्य असंस्थागत विद्याार्थियों को पत्राचार पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड में द्विपद्वतीय शिक्षा का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जा रहा है।

1996 में, क्षेत्रीय मानव विकास में बड़ी भूमिका निभाने हेतु एक नए अध्यादेश का सामना करते हुए, यू डब्लू आई (UWI) द्विपद्धतीय शिक्षा हेतु संक्रांति की प्रक्रिया का आरंभ किया, परंतु प्रक्रिया कठिनाई पूर्ण रही (मॉर्गन 2000 : 108)। कौल (2000 : 236) मूल अवधारणाओं की अवास्ताविक प्रकृति के कारण रूग्न 15 क्षेत्रों की पहचान किया जो मूल नियोजन प्रक्रिया को मजबूती दिया जिसे यहाँ प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा (आंड्रिया होप, http://pdfs.semanticscholar.org/bafa/3f3e2a87435f7b3ce53c4eb2e348c972 5c.pdf देखिए)।

1) इस मॉडल का मानना था कि सभी शिक्षकों को 20% अनुपयुक्त समय था जिसे वे दूरस्थ शिक्षा कार्यों हेतु समर्पित कर सकते थे। शिक्षकों ने इस पर विवाद किया कि वे अतिरिक्त भुगतान हेतु अपने अतिरिक्त समय को दूरस्थ शिक्षा कार्य हेतु समर्पित करेंगे।

2) प्रशासनिक इकाइयों ने दूरस्थ शिक्षा संबंधित कार्य उत्तरदायित्व को समान रूप से स्वीकार नहीं किया, कुछ हद तक दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों को उन विश्वविद्यालयों में गिनती नहीं की जाती है तथा उनसे उदासीन व्यवहार किया जाता है।

3) विद्यमान नियम तथा निर्देश दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं हेतु असंवेदनशील हैं, जो विद्यार्थियों में कड़वाहट तथा वैमनस्म को बढ़ावा देते हैं।

4) शिक्षकों की उदासीनता या प्रतिरोध व्यवहार दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए कम गुणवत्ता का कारण है तथा एक दृढ़ शिक्षकीय शक्ति आधार परिणाम की माँग हेतु बिना प्राधिकार के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र को एक प्रभावहीन परिणाम देता है।

5) सेवाओं की लागत उचित रूप में करने की विफलता तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यों हेतु समझ या सरोकार की कमी धन राशियों के अयोग्य उपयोग को प्रेरित करती है।

6) दूरस्थ शिक्षा कार्य हेतु निम्न वरीयता देना विलम्ब को बढ़ावा देता है तथा खराब प्रतिष्ठा में परिणत होता है।

7) दूरस्थ शिक्षा के निरीक्षण हेतु स्थापित विशेष बोर्ड अन्य वरिष्ठ बोर्डों जो संस्थागत प्रकृति के अंतर्गत सर्वमान्य तथा सुस्थापित हैं के अधीन है ताकि परिवर्तन को प्रभावित करने हेतु इसकी शक्ति को दृढ़तापूर्वक अवरोधित किया जा सकता है।

8) दूरस्थ शिक्षा कार्य का विश्वविद्यालय में वृत्तिक उन्नति की योजना में स्थान नहीं दिया जाता है तथा उपहास किया जाता है।

9) शिक्षक तथा अनुदेश निर्माताओं के बीच संघर्ष पाठ्यक्रम के निर्माण तथा प्रदान करने में विलम्ब को बढ़ावा देता है।

10) अधिकृत स्थानीय शिक्षण सहायता सदैव सभी स्थानीय केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं होती है।

विद्यार्थियों हेतु परिणाम अपरिहार्य थे :

- नामांकन, पाठ्यक्रम का चयन तथा छूट देने में संशय;
- अध्ययन सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब तथा/या आंशिक रूप में आपूर्ति, दोषपूर्ण अनुदेशनात्मक स्वरूप तथा सत्रीय कार्य की निगरानी में संशय,
- टेलीकान्फरेन्स के आयोजन में संशय, पाठ्यक्रम समन्वयकों, स्थानीय शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की अनुपस्थिति एवं विद्यार्थियों की जिज्ञासा के प्रति उदासीनता।
- शिक्षकों की विलम्ब से नियुक्ति/अनुपलब्धता तथा शिक्षण समूहों की निरूत्साहित संख्या।
- परीक्षा संचालन में संशय, गलत प्रश्न पत्रों का वितरण, अत्तर पुस्तिकाओं का खोना, उत्तरों के अंकन या पुनरीक्षण में समस्या, परिणामों में अत्यधिक विलम्ब तथा खो जाना।

उचित कार्य हेतु कौल के सझाव में सम्मिलत है :

- शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यों से संबंधित एक प्रभावी तथा प्रामाणिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रणाली की स्थापना करना।
- महत्वपूर्ण कार्यों जिन पर दूरस्थ शिक्षा निर्भर है, को सामूहिक प्रयास द्वारा गति देना। जैसे सहायता सेवाएँ, पाठ्यक्रम निर्माण, सामग्री का प्रेषण एवं वितरण, शिक्षकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण, टेलीकान्फ्रेस की निश्चित समय निर्धारण तथा डिजिटल नेटवर्क का उच्च स्तरीय कार्य।

- प्रासंगिक नियमों, निर्देशों तथा संबंधित अभ्यासों में परिमार्जन तथा प्रशासनिक संरचनाओं एवं कार्य संस्कृति संबंधित परिवर्तन।
- दूरस्थ शिक्षा में समुचित निवेश को सुनिश्चित करने हेतु समर्पित एवं स्वतंत्र बजट।
- तकनीक आधारित अधिगम के उपयोग में वृद्धि हेतु तकनीक तथा प्रशिक्षण में निवेश; तथा
- एक बोर्ड की स्थापना करना जो नीति निर्माण तथा उनको प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने में सक्षम हो।

परिणामतः यू डब्लू आई अपने अभ्यासों में सुधार किया तथा अपने पहुँच का विस्तार किया।

रूस में दूरस्थ शिक्षा ने श्रमिकों की शिक्षा का एक नया आयाम जोड़ा है। 1917 की क्रांति के पश्चात दूरस्थ शिक्षा ने समाजवादी अर्थव्यवस्था और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस समय के यू॰एस॰एस॰आर॰ के शैक्षिक सुधार अधिनियम (1958) ने अंशकालिक बाह्य पाठ्यक्रमों तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया। रूस में पत्राचार शिक्षा माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक तथा अन्य स्तरों पर प्रदान की जाती है। रूस के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हैं। राज्य के विश्वद्यिालयों के कुल विद्यार्थियों का 30 से 50 प्रतिशत विद्यार्थी पत्राचार कार्यक्रमों में नामांकित हो जाते हैं। वे विश्वविद्यालयों में मल्टीमीडिया शैक्षिक कार्यक्रमों से संबद्ध अल्पकालिक संस्थागत शिक्षा सुविधा का लाभ भी उठाते हैं।

दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में एशिया के देशों का अनुभव मुख्यतः यू॰के॰ मुक्त विश्वविद्यालय के अनुभव से तीन दशकों से प्रभावित रहा है। पाकिस्तान का एल्लामा इकबाल मुक्त विश्वविद्यालय जो 1974 में स्थाति हुआ था, तीसरे स्तर (उच्च स्तर) की दूरस्थ शिक्षा में अग्रणी है। यह यू॰के॰ मुक्त विश्वविद्यालय के अनुरूप दूरस्थ शिक्षा के बहुत से कार्यक्रम चलाता है।

श्रीलंका का मुक्त विश्वविद्यालय (1980) सेवारत व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यरत है और साथ ही सतत् एवं जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराता है। श्रीलंका में दूरस्थ शिक्षा की सुविधाओं का उपयोग विद्यालयी विद्यार्थियों को सार्वजनिक शिक्षा देने के लिए भी है। श्रीलंका का शिक्षा मंत्रालय सेवारत अध्यापकों की शिक्षा हेतु दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का उपयोग करता है।

बांग्लादेश ने 1990 में बांग्लादेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की।

थाईलैण्ड ने सुखेथाई थाम्माथरट मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 में करके एक बड़ा कदम उठाया। इसके लगभग 90 प्रतिशत विद्यार्थी सेवारत वयस्क हैं। यह स्व-अनुदेशनात्मक मुद्रित सामग्री के साथ-साथ श्रव्य कैसेट का उपयोग करता है। रेडियो एवं टेलीविजन कार्यक्रम इस सामग्री के पूरक कार्य करते हैं। उध्ययन केन्द्रों द्वारा कुछ सीमा तक निजी संपर्क की सुविधा दी जाती है।

भारत में, 1962 के दौरान एक पॉयलट परियोजना के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा एक साधारण शुरूआत किया गया। इसके उपरांत दूरस्थ शिक्षा के विस्तृत स्वरूप में धीरे-धीरे विकसित हुई तथा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के रूप में देश के चारो

तरफ फैल गई। आप नीचे उप-भाग 1.2.2 में इसके ऐतिहासिक विकास की एक रूपरेखा प्राप्त कर सकते हैं।

अपनी प्रगति जाँचें

टिप्पणी : क) अपने उत्तर को नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ख) इकाई अंत में दिए "अपनी प्रगति जाँचें" प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

1) 1969 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा की वृद्धि में प्रमुख विकास क्या था?

.....

.....

.....

.....

.....

1.2.2 राष्ट्रीय : एक परिदृश्य

भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का उदय विश्वविद्यालय स्तर पर हुआ तथा बाद में यह विद्यालय स्तर की ओर अग्रसर हुआ। यह स्पष्टतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा के इतिहास में एक सामान्य विशेषता है। इसकी पृष्टभूमि 1950 के दशक में प्राप्त की जा सकती है। स्वाधीनता के पश्चात उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक असमान विस्तार हुआ है जैसे इसके नामांकन, संस्थानों की स्थापना, कार्यक्रमों की विविधता आदि। उच्च शिक्षा विकास की गति-दर, आर्थिक विकास की दर के समान नहीं थी। धीरे-धीरे विस्तार का केन्द्र बिन्दु उच्च शिक्षा से हट कर विद्यालयी शिक्षा पर हो गया। विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या हेतु विश्वविद्यालय एवं कॉलेज स्थापित करने में बहुत व्यय होता था जो भारतीय परिस्थितियों में बहुत जटिल तथा कठिन कार्य था। उच्च शिक्षा की औपचारिक प्रणाली में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के फलस्वरूप पत्राचार पाठ्यक्रमों के आरंभ का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत में पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम के रूप में दूरस्थ शिक्षा आरंभ करने के दो उद्‌देश्य थे। एक तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के समूह के दबाव को पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम की ओर बढ़ाना था जिससे शिक्षा पर व्यय में कमी आए। दूसरा, उच्च शिक्षा का लोकतांत्रिकरण करना।

दिल्ली विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था जिसने 1962 में प्रायोगिक परियोजना के रूप में पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ किया। मार्च 1961 में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्य आरंभ किया गया था। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रथम डिग्री स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुशंसा करने हेतु एक उप-समिति गठित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा की सफलता ने अन्य विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु प्रेरित किया। इसी बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पत्राचार पाठ्यक्रमों के मार्गदर्शन हेतु नियम बनाने की पहल की। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1967, 1968, तथा 1971 में तीन शिष्टमंडल यू.एस.एस.आर. में पत्राचार शिक्षा का अध्ययन करने हेतु भेजा। 1969 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पत्रचार पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन हेतु दिशा निर्देश दिए। पत्राचार पाठ्यक्रम का उद्‌देश्य निम्नलिखित वर्गों को शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना निश्चित किया :

- वे विद्यार्थी जिन्होंने आर्थिक और अन्य कारणों से औपचारिक शिक्षा छोड़ दी थी।
- भौगोलिक दृष्टि से दूर-दराज के क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी।
- वे विद्यार्थी जिन्होंने अभिरूचि और प्रेरणा के अभाव में शिक्षा छोड़ दी थी, परंतु बाद में प्रेरित हो गए थे।
- वे विद्यार्थी जो नियमित महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकते या नहीं पाना चाहते, यद्यपि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सभी योग्यताएँ रखते हैं।
- वे लोग जो शिक्षा को जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया समझते हैं तथा अपने ज्ञान को उसी विषय में नया करना चाहते हैं या किसी नए क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं (वि. अनु. आयोग, 1988)।

उपरोक्त विकास के परिणामस्वरूप, बहुत से विश्वविद्यालय डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र के विभिन्न क्षेत्रों में पत्राचार पाठ्यक्रमों का आरंभ किए। इस प्रकार, द्विपद्धतीय विश्वविद्यालय जो अपना कार्यक्रम नियमित एवं दूरस्थ दोनों माध्यम से प्रदान कर रहे थे, 1960-70 के दशक में गति प्राप्त किए।

1970 के दशक में, भारत में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना करने का पहल आरंभ हुआ। देश में मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली की शुरूआत 1969 में संयुक्त राज के मुक्त विश्वविद्यालय के निर्माण के साथ संबद्ध किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष 1970 के समय शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा यूनेस्को के सहयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सहयोग से दिसंबर, 1970 में 'मुक्त विश्वविद्यालय' पर एक सेमिनार आयोजित किए। यह सेमिनार भारत में प्रायोगिक तौर पर एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा किया। फलस्वरूप, भारत सरकार मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार हेतु जी॰ पार्थसारथी की अध्यक्षता में मुक्त विश्वविद्यालय पर आठ सदस्यीय कार्य समूह नियुक्त की। यू॰के॰ मुक्त विश्वविद्यालय के प्रतिरूप का संपूर्ण अध्ययन के पश्चात कार्य समूह ने भारत में एक मुक्त विश्वविद्यालय के निर्माण की अनुशंसा करते हुए 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कार्य समूह की अनुशंसा के आधार पर एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया। यद्यपि, प्रक्रिया में विलंब हुआ।

इसी बीच, आन्ध्रप्रदेश सरकार ने एक पहल की तथा जी॰ राम रेड्डी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर 25 मई, 1982 को एक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। आंध्रप्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय का नाम बाद में बी॰ आर॰ अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हो गया।

जनवरी 1985 में, केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु एक नीति बनाई। इसके परिणाम स्वरूप तथा आवश्यक प्रयासों द्वारा 20 सितम्बर, 1985 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के नाम पर एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। इसके बाद भारत में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः अपनी स्वायत्त चरित्र के कारण मुक्त विश्वविद्यालयी प्रणाली एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार, 1980 में केवल दूरस्थ पद्धति द्वारा कार्यक्रम प्रदान करने वाले एकल पद्धतीय विश्वविद्यालयों का एक नया युग आरंभ हुआ। कुछ समय पश्चात, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दोहरी भूमिका निभाना आरंभ किया : मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति का आरंभ एवं प्रोत्साहन; तथा इस प्रणाली में मानकों के साथ सहयोग एवं निर्धारण। शीघ्र ही पूरे देश में यह अपने संक्षिप्त रूप 'इग्नू' द्वारा लोकप्रिय हुआ।

इसी दौरान बी.आर.ए.ओ.यू. तथा इग्नू की सफलता से प्रेरित अन्य राज्य जैसे राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक और अन्य राज्य ने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किए। इसी दौरान द्विपद्धतीय विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में पुनर्निर्मित या रूपांतरित हुए।

वर्तमान में, कुल मिलाकर 200 से अधिक द्विपद्धतीय तथा एकल पद्धतीय विश्वविद्यालय हैं। हमलोग इन विकास की विस्तृत चर्चा इकाई-3 में करेंगे।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि उच्च शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा का आरंभ 1962 में हुआ, विद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा आरंभ करने का विचार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्मेलन की अनुशंसा के द्वारा 1964 में हुआ । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 इस विचार को प्रोत्साहित किया। आरंभ में इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रमों के विभिन्न साधनों द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा में विद्यालय छोड़ चुके बाह्य अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर देना था। कुछ वर्षों के पश्चात, विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड दिल्ली, यू पी, राजस्थान, ओडिसा तथा मध्यप्रदेश में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रदान करना आरंभ किए। इस प्रकार यद्यपि दूरस्थ शिक्षा तृतीय स्तर (उच्च शिक्षा स्तर) पर भारत में 1960 के दशक में पहली बार आरंभ हुआ, माध्यमिक स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम भी 1970 के दशक तक कई राज्यों में आरंभ हुए।

अगस्त 1974 में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने एक कार्यदल की स्थापना की जिसका कार्य क्षेत्र मुक्त विद्यालय की स्थापना की संभावनाओं पर विचार करना था। नवंबर, 1978 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने मुक्त विद्यालय की स्थापना पर विचार विमर्श करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली ने जुलाई 1979 में मुक्त विद्यालय की स्थापना की। 1989 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की तथा मुक्त विद्यालय को इसी के साथ मिला दिया गया। इसके पश्चात, आंध्रप्रदेश मुक्त विद्यालय 1991 में स्थापित किया गया। सन् 1995-96 के दौरान के प्रयासों से उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी मुक्त विद्यालयों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा भारत में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संघ की स्थापना की जा चुकी है।

हम इकाई 3 में भारत में दूरस्थ शिक्षा के विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा की वृद्धि एवं विकास का आधार विभिन्न शैक्षिक निकायों की विभिन्न अनुशंसाओं एवं अभिव्यक्तियों तथा नीति अभिलेखों में है जो भारत में दूरस्थ शिक्षा का स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। हम भाग 1.3 में भारत में दूरस्थ शिक्षा की नीतिगत परिप्रेक्ष्य की विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे जो अग्रलिखित है।

अपनी प्रगति जाँचें

टिप्पणी : क) अपने उत्तर को नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ख) इकाई अंत में दिए "अपनी प्रगति जाँचें" प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

2) i) भारत में मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति के विकास के क्रम को लिखिए।

.....

.....

ii) भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों की सामान्य विशेषताएँ क्या हैं?

.....

.....

.....

iii) विद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को निर्मित करने का मुख्य कारण क्या है?

.....

.....

.....

iv) दूरस्थ शिक्षा द्वारा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन क्यों किया जाना चाहिए?

.....

.....

.....

1.3 भारत में नीति परिप्रेक्ष्य

छठे दशक के आरंभ से ही भारत सरकार की दूरस्थ शिक्षा नीति लगातार अनुकूल बना रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा की माँग बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार हुआ, जिसके कारण योजना आयोग ने इस संबंध में अपनी कार्यनीतियाँ इन शब्दों में स्पष्ट की :

".....उच्च शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ाने के साथ-साथ सांध्य कालेज खोलने, पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने तथा बाह्य डिग्री देने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।" (भारत सरकार 1960 : 589)

1.3.1 भारतीय शिक्षा आयोग (1964–66) तथा उसके पश्चात्

परिणामस्वरूप, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई) ने निश्चय किया कि इस मामले का विस्तृत अध्ययन किया जाए। तब शिक्षा मंत्रालय ने डॉ. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की, जिसने पत्राचार पाठ्यक्रम की प्रकृति, सीमा और साधनों के संबंध में अपनी सिफारिशें दी। यादव और पांडा (1996) ने इस समिति की कुछ मुख्य सिफारिशों का निम्न प्रकार से संक्षेपण किया है:

i) पत्राचार पाठ्यक्रमों जो डिग्री स्तर अथवा समतुल्य स्तर की योग्यता प्रदान करते हैं, का संचालन विश्वविद्यालयों के द्वारा ही किया जाय।

ii) वर्तमान में पत्राचार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की प्रथम डिग्री तक ही सीमित रहें।

iii) पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क कक्षाएँ होनी चाहिए। ये कक्षाएँ भाषण आधारित नहीं होनी चाहिए, अपितु अनुशिक्षणीय आधार पर होनी चाहिए।

iv) शैक्षिक स्तर को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम-निर्माण और पाठ्यपुस्तकों के चयन के कार्यों में शीर्ष कोटि के विद्वानों और शिक्षकों को शामिल

किया जाए। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ऐसी स्थाई व्यवस्था हो ताकि कार्य की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होता रहे।

v) पत्राचार-विधियों का प्रयोग विज्ञान और मानविकी दोनों क्षेत्रों में संभव है। पर फिलहाल संगठनात्मक कठिनाइयों को देखते हुए कला और वाणिज्य में ही पत्राचार पाठ्यक्रम शरू किए जाएँ। आगे चलकर विज्ञान पाठ्यक्रमों को भी यथाशीघ्र शरू किया जाए।

vi) प्रथम डिग्री के लिए, पत्राचार पाठ्यक्रम में नियमित कॉलेजों की तुलना में अधिक समय दिया जाए, यानी नियमित कॉलेज में 3 वर्ष लगते हैं तो पत्राचार में 4 वर्ष की अवधि रखा जाए। यद्यपि यह बात अलग है कि उत्कृष्ट विद्यार्थियों 3 वर्ष अवधि में ही डिग्री पूति करने की क्षमता हो सकती है। इस शिक्षण-प्रणाली को कार्यरूप देने के लिए इसमें आवश्यकतानुसार लचीलापन रखने की कड़ी सिफारिश की जाती है।

vii) इस पाठ्यक्रम में आवेदन करने वालों की शुल्क प्रथम वर्ष में अधिक होनी चाहिए, परन्तु दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः कम होती रहे और यदि सम्भव हो तो चौथे वर्ष में शुल्क ली ही न जाए।

viii) दो संपूरक सहायक साधनों यानि (a) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और (b) रेडियो एवं टी वी का उपयोग, सुझाया गया है। मानकों को बढ़ाने के लिए यह वांछनीय है मौखिक अभिव्यक्ति का स्तर सुधरे और लिखित शब्दों पर कम आश्रित रहा जाए।

ix) पत्राचार पाठ्यक्रम सर्वप्रथम कोई एक विश्वविद्यालय, उदाहरणार्थ, दिल्ली विश्वविद्यालय शरू करे। पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों का निर्धारण तथा प्रशासनिक कार्य दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारणी, समिति निश्चित करेगी।

x) यह निश्चित करना होगा कि यह कार्यक्रम लागत प्रभावी हो। यह तभी सम्भव है जब नियमित कॉलेजों में होने वाले व्यय की कई मदों को कम कर दिया जाए और पर्याप्त संख्या में छात्र इस पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे तो बड़े पैमाने वाले संगठन के सभी लाभ मिल सकेंगे (भारत सरकार, 1962)।

शिक्षा आयोग (1964-66)

1962 में देश में पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया था। हालांकि विश्वविद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम के बारे में सर्वप्रथम स्पष्ट और औपचारिक अनुशंसा शिक्षा आयोग (1964-66) ने की, जिसमें कहा गया किः

> *उन करोड़ों लोगों के लिए काई-न-कोई शिक्षा का माध्यम अवश्य हो जो अपने प्रयास से और अपनी सुविधा के समय में पढ़ कर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे विचार में इसका उपयुक्त तरीका पत्राचार या गृह-अध्ययन पाठ्यक्रम ही हो सकता है।*
>
> *पत्राचार या गृह-अध्ययन पाठ्यक्रम एक आजमाई हुई या पूर्व परीक्षित तकनीक है। संयुक्त राज्य अमरीका, स्वीडन, सोवियत संघ, जापान और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में लम्बे समय तक के अनुभव और दिल्ली विश्वविद्यालय के सीमित अनुभव के आधार पर इस प्रणाली की व्यापक अद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करने की हम सिफारिश करते हैं। पत्राचार शिक्षा पद्धति को किसी भी प्रकार से नियमित स्कूल और कॉलेज शिक्षा पद्धति से घटिया मानने का कोई आधार नही है। विदेशों के अनुभव और भारत में किए गए परीक्षण के आधार पर जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनसे पत्राचार शिक्षा पद्धति को बल मिला है।*

शिक्षा आयोग ने आगे कहा है :

"यह स्पष्ट है कि पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था केवल विश्वविद्यालयों में ही नहीं होनी चाहिए। पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था भारत सरकार के कृषि, उद्योग, सहकारिता और स्वास्थ्य विभागों के स्तिार सेवा विकास विभागों में भी हो। ऐसा करना शिक्षित और नए साक्षर लोगों को उन्नत तकनीक की जानकारी देने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में शिक्षा आयोग की सिफारिशों को इन शब्दों में समाविष्ट कर लिया गया :

".... (13) अंशकालिक शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम : विश्वविद्यालय स्तर पर अंशकालिक शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम बड़े पैमाने पर विकसित किए जाएँ। ऐसी सुविधाएँ माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा कृषि एवं औद्योगिक और अन्य श्रमिकों के लिए भी उपलब्ध की जाएँ। अंशकालिक और पत्राचार पाठ्यक्रम को वही दर्जा दिया जाए जो पूर्णकालिक शिक्षा को दिया जाता है। ऐसी सुविधाएँ मिल जाने पर स्कूल छोड़ने के तुरंत बाद जीवनोपयोगी कार्य शुरू करना सरल हो जाएगा। साथ ही शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे बहुत से लोगों को शिक्षा के अवसर मिल जाएँगे जो आगे बढ़ना तो चाहते हैं परन्तु पूर्णकालिक शिक्षा के अभाव में ऐसा नहीं कर पाए।"

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निर्देशिका

1974 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार पाठ्यक्रम संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए। आयोग ने कहा कि :

पत्राचार पाठ्यक्रम वाली शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के प्रति अभिरूचि रखने वाले ऐसे बहुत से लोगों को वैकल्पिक शिक्षा-साधन उपलब्ध कराना है जो अपने ज्ञान को और व्यावसायिक योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, वे हैं : (क) उन विद्यार्थियों की, जिन्होंने आर्थिक व अन्य कारणों से औपचारिक शिक्षा छोड़ दी है; (ख) उन विद्यार्थियों की, जो भैगोलिक दृष्टि से दूर-दराज के क्षेत्रों में बसे हुए हैं; (ग) उन विद्यार्थियों की, जिन्होंने अभिरूचि व अभिप्रेरणा के अभाव में पहले अपनी शिक्षा छोड़ दी परन्तु बाद में फिर अभिप्रेरित हो गए; (घ) उन विद्यार्थियों की, जिन्हें पर्याप्त योग्यता होने के बावजूद या तो नियमित कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल पाया या वे जो नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना नहीं चाहते; (ङ) उन विद्यार्थियों की, जो शिक्षा को जीवन पर्यन्त चलने वाली कार्यकलाप मानते हैं और आगे अद्यतन ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना

संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अधीन इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई। इसके उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह रखा गया कि यह विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में भी अपनी अतिरिक्त भूमिका का निर्वाह करे। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि "इस विश्वविद्यालय का यह कर्त्तव्य होगा कि मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की प्रसार व वृद्धि के लिए तथा इस प्रणाली

में अध्यापन, मूल्यांकन तथा शोध के स्तरों का निर्धारण करने के लिए, जिन्हें वह ठीक मानता हो ऐसे सभी कदम उठाए तथा इस विशिष्ट प्रकार्य के निष्पादन के लिए विश्वविद्यालय के पास ऐसी शक्तियाँ होंगी जिसमें कुछ विशिष्ट कॉलेजों या किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा की किसी संस्था को अनुदान आवंटित करना और उसका संवितरण करना भी सम्मिलित है। यह आवश्यक नहीं कि ये कॉलेज या संस्थाएँ इसके विशेषाधिकार में आती ही हों।"

नई शिक्षा नीति (1986)

1986 में, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की जिसमें दूरस्थ शिक्षा और मुक्त अधिगम प्रणाली पर विशेष बल दिया गया। नई शिक्षा नीति के कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं :

पैरा 3.11 शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उद्देश्य जीवन पर्यन्त शिक्षा है। इसकी पूर्वधारणा सार्विक साक्षरता है। युवाओं, गृहिणियों, कृषि में लगे लोगों, औद्योगिक श्रमिकों और व्यावसायिकों को उनकी पसंद की शिक्षा के अवसर उनके लिए अनुकूल गति से उपलब्ध कराना। इस प्रकार भविष्य में मुक्त और दूरस्थ अधिगम पर बल होगा।

पैरा 4.13 प्रौढ़ और सतत् शिक्षा का एक वृहत कार्यक्रम विभिन्न भागों और साधनों के द्वारा कार्यान्वित करना होगा जिसमें ....(9) दूरस्थ अधिगम कार्यक्रम शामिल करना होगा।

पैरा 5.35 शिक्षा के लोकतांत्रिकरण के साधन के रूप में उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के दृष्टिकोण से मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का आरंभ किया गया।

पैरा 5.36 इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1985 में स्थापित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को और अधिक सबल बनाया जाएगा।

पैरा 5.37 यह शक्तिशाली उपकरण ध्यानपूर्वक तथा सावधानी सहित विकसित करना होगा।

पैरा 6.6 परंपरागत पाठ्यक्रमों को वर्तमान प्रवेश संबंधी कठोर शर्तों के मद्दे नजर, जिसके कारण बहुत सारे व्यक्ति तकनीकी तथा प्रबंधकीय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, दूरस्थ अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिनमें दूर संचार माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा कार्यक्रम, जिनमें बहु-तकनीकी शिक्षा सम्मिलित होगी, क्रेडिटों के आधार पर एक लचीले माड्यूलर ढांचे के रूप में होंगे तथा इनमें बहु-बिंदु प्रवेश (multipoint entry) का प्रावधान भी होगा। एक सुदृढ़ निर्देशन व परामर्श सेवा भी प्रदान की जाएगी।

पैरा 8.10 आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों में यह क्षमता है कि ये पूर्वदशकों के अनुभव की सामने आई विकास प्रक्रिया की कई अवस्थाओं तथा अनुक्रमों को पार कर सकती हैं। समय और स्थान की बाधाएँ बिल्कुल नियंत्रित हो जाती हैं। सरंचनात्मक दोहरेपन से बचने के लिए, आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी तुलनात्मक समृद्धि और तैयार उपलब्धता के क्षेत्रों के साथ-साथ दूर क्षेत्रों में रहने वाले और वंचित वर्गों के लाभार्थियों तक पहुँचना होगा।

दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना

मई 1991 में, इग्नू के प्रबन्धन बोर्ड ने दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए एक संविधि (Statute) पारित की। इसका उद्देश्य मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था की प्रसार वृद्धि करने, समन्वयन करने और स्तर को बनाए रखना था जो इग्नू का एक मुख्य उद्देश्य है। दूरस्थ शिक्षा परिषद को सौंपे गए कार्य है :

i) मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की प्रसार वृद्धि करना, समन्वयन करना और स्तर निर्धारण करना,

ii) मुक्त विश्वविद्यालयों और दूर शिक्षा संस्थाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना,

iii) उन प्राथमिकता देने योग्य क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए और उन्हें संगठित करने में सहायता देना,

iv) अध्येता-समूहों और उनके लिए संगठित किए जाने वाले कार्यक्रमों के प्रकार और स्वरूपों की पहचान करना।

v) दूरस्थ शिक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, तथा

vi) मुक्त विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं के विकास में और विशिष्ट परियोजनाएँ चलाने में वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992)

भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का संशोधन किया। दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशिष्ट सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

पैरा 4.13 नवसाक्षरों और उन युवाओं के लिए जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा तो प्राप्त कर ली है पर जो चाहते हैं कि अपने साक्षरता कौशलों को बनाए रखें, उन्हे उन्नत कर सकें तथा अपने जीवन-स्तर एवं कार्य करने की दशा सुधारें, उनके लिए साक्षरता के बाद के और सतत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध कराने होंगे। इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं.... (9) दूरस्थ अधिगम कार्यक्रम।

पैरा 5.35 शिक्षा के लोकतांत्रीकरण के साधन के रूप में और इसे एक जीवन-पर्यन्त प्रक्रिया का रूप देने के लिए तथा उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से मुक्त अधिगम प्रणाली का आरंभ किया गया है। हमारे देश के नागरिकों के लिए, जिनमें व्यावसायिक धारा में अध्ययनरत व्यक्ति भी सम्मिलत हैं, मुक्त अधिगम प्रणाली का लचीलापन तथा नवीनता विशेष रूप से उपयुक्त हैं।

पैरा 5.36 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का, जो 1985 में इन्हीं उद्देश्यों से स्थापित किया गया था, सबल किया जाएगा। राज्यों में जो मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएँगे, इसमें इग्नू सहयोग देगा।

पैरा 5.37 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को सबल किया जाएगा और देश के सभी भागों में मुक्त अधिगम की सुविधाएँ धीरे-धीरे माध्यमिक स्तर पर बढ़ाया जाएगा।

दूरस्थ शिक्षा पर शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की समिति

1995 में, शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की समिति ने दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। इसने यह भी प्रस्ताव रखा कि मुक्त विश्वविद्यालय का एक नेटवर्क बिछाया जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य हो :

संसाधनों की साझेदारी, कार्यों की पुनरावृत्ति को कम से कम करना, एक समान स्तर निश्चित करना, विद्यार्थियों की गतिशीलता को प्रोत्साहन देना और प्रभावी विद्यार्थी सहायता सेवा की व्यवस्था करना। समिति ने अपनी अनुशंसाओं में यह प्रस्तावित किया कि मुक्त विश्वविद्यालय का नेटवर्क निम्नलिखित विचारों के आधार पर होना चाहिए।

i) विभिन्न संस्थाओं द्वारा बनाए और प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति न हो।

ii) किसी संस्था द्वारा बनाया गया अच्छा कार्यक्रम सभी मुक्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों को आपसी सहमति से निर्धारित शर्तों पर उपलब्ध होना चाहिए। प्रयोक्ता संस्थानों से ऐसे पाठ्यक्रमों के विकास पर हुए व्यय की पूर्ति की माँग नहीं की जानी चाहिए।

iii) वे संस्थान जो स्वयं उच्च स्तर का कार्यक्रम नहीं बना पाएँ, वो इस नेटवर्क के साधनों का उपयोग पाठ्यक्रमों के संयुक्त विकास के लिए करें।

iv) विभिन्न राज्यों के चुने हुए संस्थानों को चाहिए कि वे नेटवर्क के पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों का अनुवाद अपनी-अपनी विभिन्न भाषाओं में करें और उन विद्यार्थियों का पंजीयन करें जो स्थानीय भाषाओं में इन कार्यक्रमों का उपयोग करना चाहते हैं।

v) यदि बहुत सी संस्थाएँ उसके साथ कार्य करें तो विद्यार्थी सहायता सेवा बहुत प्रभावी तथा विकेंद्रीकृत आधार पर आयोजित की जा सकती है। तब हर संस्था में कम अलग से विद्यार्थी सहायता सेवा की व्यवस्था किया जा सकता है, जिससे व्यय में भी कमी आएगी। इसी प्रकार संयुक्त अध्ययन केंद्रों और स्टूडियों सुविधाओं की साझेदारी की सम्भावनाओं की तलाश की जा सकती है।

vi) मुक्त विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों का प्रसार करते समय यह नेटवर्क औपचारिक शिक्षा से संबंधित संस्थानों को भी कार्यक्रम बनाने और नेटवर्क में सम्मिलित कर सकता है। ऐसी भागीदारी से परम्परागत पाठ्यक्रमों और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की दूरी समाप्त हो सकती है और इसका एक सुखद परिणाम यह होगा कि उच्च शिक्षा प्रणाली भी सार्थक रूप में पुनर्व्यवस्थित हो सकेगी।

vii) जब इस प्रकार का नेटवर्क बन जाएगा यह दायित्वों का विभाजन के द्वारा बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का समर्थन कर सकता है (जैसे कार्यक्रमों के प्रकार, शिक्षा की माध्यम भाषाओं, भौगोलिक/क्षेत्रीय विभाजन आदि) (सी.ए.बी.ई.,1995)।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2006-2009)

अपनी संक्षिप्त अनुशंसाओं में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शैक्षिक संसासधनों का बहुत महत्व दिया है।

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा संसाधन : मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा संसाधनों का विकास उच्च शिक्षा में विस्तार, उत्कृष्टता तथा समावेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अत्यावश्यक है। उच्च शिक्षा में नामांकित विद्यार्थियों के पाँचवां हिस्सा से अधिक मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा शाखा में है। दूरस्थ शिक्षा पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसाएं एक राष्ट्रीय सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी की आधारभूत सरंचना, नियामक सरंचना का सुधार, वेब-आधारित सामान्य संसाधनों का विकास, एक क्रेडिट बैंक की स्थापना तथा एक राष्ट्रीय जाँच सेवा प्रदान करने पर केन्द्रित हैं। इसे संपूरित करने हेतु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने यह भी अनुशंसा किया कि गुणवत्तापूर्ण विषय वस्तु का उत्पादन तथा वैश्विक मुक्त शिक्षा संसाधान के उत्थान में एक व्यापक ढंग से ध्यानाकृष्ट करने की आवश्यकता है। हमें सभी

सामग्री के मुक्त पहुँच को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जैसे - शोध पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएँ, आदि (भारत सरकार, 2009, पृ.15)।

दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB) 2012

उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 29.12.2012 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार, उच्च शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में नियामक कार्य अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ संनिहित हैं। दूरस्थ शिक्षा परिषद जो पूर्व में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का नियंत्रक था, इसे भंग कर दिया गया है तथा सभी नियंत्रक कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है। (http://www.u9c.ac.in/debl) आप जानते हैं कि मई, 1992 में इग्नू का प्रबंधन की बोर्ड भारत में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के प्रोत्साहन, समन्वयन तथा मानकों को बनाए रखने हेतु दूर शिक्षा परिषद की स्थापना हेतु संविधि बनाया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 – नई शिक्षा नीति विकास के लिए समिति का प्रतिवेदन

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के व्यापक उद्देश्यों में एक वैश्विक संसार में शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी का महत्व पर बल दिया तथा यह निम्नलिखित को व्यक्त करता है।

3.2.11 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वैश्विक, डिजिटल विश्व में प्रासंगिक रहने हेतु विद्यार्थियों को सुसज्जित एवं सक्षम करने का होना चाहिए।

यह मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम/शिक्षा की भूमिका, स्थान तथा महत्व पर भी बल देता है जो इस प्रकार है :

7.10.1 मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (ODL), जो परंपरागत कक्षाकक्ष के एक वैकल्पिक पद्धति का विचार प्रस्तुत करता है, विश्व के बहुत से भागों में स्वीकार्य हो रहा है। यह दूरस्थ स्थान से अधिगम को नियमित रखने के साथ कार्य या नौकरी की नियमितता हेतु लचीलापन प्रदान करता है। अभी हाल में, भारत में ऑनलाइन प्रणाली में शामिल इग्नू तथा कुछ राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों; हाल के वर्षों में, कई संस्थान तथा विश्वविद्यालयों के साथ 'संस्थाएँ' विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित हुए हैं।

7.10.8 सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता, सूचना प्रौद्योगिकी का जुड़ाव तथा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित करने में अग्रणी विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं द्वारा व्यक्त विपुल रूचि के रूप में भारत की वर्तमान तथा संभावित शक्ति के कारण द्विपद्धतीय विश्वविद्यालयों तथा वृहत ऑनलाईन मुक्त पाठ्यक्रमों द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम समुचित उत्कृष्टता के अनुरूप होना चाहिए।

7.10.9 मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहले ही एक भारतीय MOOC (Massive Open Online Coures) प्लेटफार्म "SWAYAM" को प्रायोजित करने हेतु अग्रसर हो चुके है।

7.10.10 मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम/वृहद मुक्त ऑनलाईन कार्यक्रमों की माँग भविष्य में बढ़ने वाली है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की तरफ से तकनीक के समर्थन की आवश्यकता होगी, जो कि अभी भी सार्वजनिक मुद्दे हैं; यह अनुशंसित है कि इस क्षेत्र में विकास को ध्यानपूर्वक देखा जाना चाहिए।

उपरोक्त बिन्दु आने वाले वर्षों में भारत में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम/शिक्षा के परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं।

अपनी प्रगति जाँचें

टिप्पणी : क) अपने उत्तर को नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ख) इकाई अंत में दिए "अपनी प्रगति जाँचें" प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

3) भारत में दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नीतिगत निर्णयों की गणना कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

1.3.2 भावी परिप्रेक्ष्य

भावी परिप्रेक्ष्य को समझने हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्यों पर एक नजर डालना बेहतर होगा (http://planningcommission.nic.in/plans/planed/fiveyr/12th/pdf/12fyp_vol3.pdf):

1) सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करना तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पत्र तथा आत्मा को ध्यान में रखते हुए, 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।

2) प्रारंभिक स्तर पर उपस्थिति में सुधार करना तथा विद्यालय छोड़ने के दर को 10 प्रतिशत से कम करना एवं सभी राज्यों में सभी सामाजिक, आर्थिक तथा अल्पसंख्यक समूहों के लिए प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय से बाहर के बच्चों का विद्यालय छोडने के दर को 2 प्रतिशत से नीचे करना।

3) शिक्षा के उच्च स्तर पर नामांकन में वृद्धि करना तथा माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात को 90 प्रतिशत के उपर बढ़ाना एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 65 प्रतिशत से उपर बढ़ाना;

4) कुल साक्षरता दर को 80 प्रतिशत से उपर उठाना तथा साक्षरता में लैंगिक अंतर को 10 प्रतिशत से कम करना;

5) सभी वर्गों को विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों के प्राथमिक विद्यालयों में कम-से-कम एक वर्ष का सुसमर्थित/साधन संपन्न पूर्व विद्यालयी शिक्षा प्रदान करना; तथा

6) सभी बच्चों को दूसरी कक्षा तक पठन तथा गणना कौशल प्रदान कराना तथा कक्षा पाँच तक समीक्षात्मक सोच, अभिव्यक्ति तथा समस्या समाधान के कौशलों में प्रवीणता को सुनिश्चित करने के विशेष ध्यान के साथ विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर स्वतंत्रापूर्वक मापन, पर्यवेक्षण तथा रिपोर्ट किए गए अधिगम परिणामों को बढ़ाना।

उपरोक्त के आलोक में, देश में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के मात्रात्मक विस्तार हेतु विशाल अवसर है। 21वीं सदी का आरंभ प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय (उच्च) स्तरों पर दूरस्थ शिक्षा के अद्वितीय विस्तार का साक्षी रहा। मुक्त विद्यालयों को प्रारंभिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक अपने क्षेत्र को विस्तृत करना होगा। व्यावसायिक शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता तथा सतत शिक्षा उच्च वरीयता प्राप्त कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय स्तरीय कार्यक्रम संक्रमण के चरण से गमन करेंगे। नामांकन का विस्तार दर संभवतः गति प्राप्त करेगा। उच्च शिक्षा व्यवस्था के कुल नामांकन का लगभग 50 प्रतिशत मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा समायोजित किया जा सकता है। मात्रात्मक विस्तार पर बल देने के अतिरिक्त, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था को गुणवतापूर्वक मजबूत किया जायेगा।

द्वितीय पद्धति संस्था स्तर पर पत्राचार शिक्षा प्रणाली को मल्टीमीडिया आधारित स्व-अधिगम सामग्रियों, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ, टेलीकम्यूनिकेशन-आधारित मीडिया सुविधाओं को अपनाने, सतत मूल्यांकन व्यवस्था आदि जो मुक्त विश्वविद्यालयों में प्रचलित हैं पर अधिक बल देते हुए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में रूपांतरित किया जाएगा।

चूँकि परंपरागत विश्वविद्यालय अपने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के आधार को विस्तृत करेंगे, प्रत्येक राज्य में मुक्त विश्वविद्यालयों का धीरे-धीरे विस्तार होगा। इग्नू पूरे देश में उच्च शिक्षा स्तर पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा। अखिल भारतीय स्तर पर एक सामूहिक उपागम बहुसंख्य नवाचारी एवं आवश्यकता-आधारित कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के संसाधनों को साझा करने में एक बड़ा महत्व प्राप्त करेगा तथा इस उपागम द्वारा कार्यक्रमों को आरंभ किया जाएगा।

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की क्षमता को अग्रसर करने हेतु आगे मल्टीमीडिया आधारित-अधिगम के विस्तार हेतु विभिन्न मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थान, मीडिया संस्थान, दूरदर्शन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा कॉमनवेल्थ आफ लर्निंग के साथ सहयोग एवं समन्वय की वृद्धि होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 शीघ्र ही एक वास्तविकता होगी तथा इसके क्रियान्वयन के उत्तरवर्ती प्रयासों से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति को सबल करने की दिशा में सभी प्रयास प्रेरित करने की अपेक्षा है।

इस संदर्भ में, यह देखना आवश्यक है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016, (नई शिक्षा नीति विकास के लिए समिति की रिपोर्ट) के नीतिगत प्रावधान शिक्षा नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के क्रम में कौन-सी दिशा लेता है, क्योंकि भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पर इसके लिए अधिक निर्धारक प्रभाव होगा।

8.5.13 यह समिति उल्लेख करती है कि दूरस्थ विद्यालयी शिक्षा का क्षेत्र आने वाले वर्षों में त्वरित विस्तार से गुजरेगा। निजी क्षेत्र पहले से ही इस क्षेत्र में आ चुका है, क्योंकि यह इसे एक वित्तीय अवसर के रूप में देखता है। यह आवश्यक है कि जैसे कि क्षेत्र का उद्‌भव होता है सरकार को घटनाओं के पश्चात ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी संस्थाएँ इसके आगे निकल चुकी हैं, जैसा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो चुका था। यद्यपि, एक परिवर्तित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान विद्यालयी सामग्री के प्रचार, परीक्षा संचालन आदि हेतु प्रमुख राष्ट्रीय अभिकरण हो सकता है (उच्च शिक्षा क्षेत्र में बहुत हद तक इग्नू की तरह), विकास की दिशा की जानकारी रखने, किसी सरकारी पहल पर विधिक स्वरूप प्रदान करने, समुचित निजी पहल की सहायता, बढ़ावा तथा दिशाबोध देने हेतु एक उपयुक्त नियंत्रक प्राधिकार को स्थापित करने हेतु कुछ विचार की आवश्यकता है।

8.5.14 समिति अनुशंसा करती है कि एक उत्क्रमित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान या कोई अन्य प्राधिकृत संस्था को कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के समकक्ष उपलब्धि को प्रमाणपत्र देने हेतु दो नवीन राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली को निर्मित करना चाहिए जिसे विश्वसनीय, भरोसामंद तथा निर्दिष्ट होना चाहिए। ये व्यवस्थाएँ विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी, न केवल औपचारिक शिक्षा व्यवस्था द्वारा संबोधित यद्यपि विभिन्न

प्रकार के अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है। किसी भी स्थान पर उल्लेखित उच्च शिक्षा हेतु 10 लाख नए छात्रवृत्ति का प्रस्ताव उचित वर्गीकरण के साथ अभ्यर्थियों के चयन में एक आधार चिन्ह के रूप में कक्षा 12 परीक्षा का उपयोग कर सकता है। यह भी प्रस्तावित है कि कक्षा 12 परीक्षा प्रणाली कक्षा 10 परीक्षा के पश्चात यथासंभव निर्मित किया जा सकता है।

8.3.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में तीन प्राथमिक कार्य कर रहा है : यह भारत में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को अनुदान के वितरण का देखरेख करता है; दूसरा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 80,000 से अधिक लाभार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है; तथा इसका तीसरा मुख्य कार्य विश्वविद्यालयों को मान्यता देना तथा देश में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों द्वारा इसके निर्देशों हेतु सुनिश्चयन की निगरानी करना है।

8.3.3 यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्षों से कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की उत्तम गुणवत्ता तथा प्रभावी प्रबंधन की प्राप्ति हेतु कई निर्देशक नियमावली निर्गत किया है, यह उन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की सुनिश्चितता हेतु सक्षम नहीं रहा है। समिति को सूचित किया गया कि संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों के अनुमोदन प्रदान करने में व्यापक अनियमितताएँ थीं। विशाल संख्या में कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विषय में गंभीर सरोकार हैं; उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के मानकों का पर्यवेक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उत्तरदायित्व है तथा यह सुनिश्चित करने में यह सफल नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वसनीयता विशाल संख्या में निम्न मानक वाले कॉलेजों तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों को दिए अनुमोदनों से गंभीरतापूर्वक कम हुआ है।

8.3.4 एक विशेषज्ञ समिति हाल में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अतीत, वर्तमान तथा भविष्य की आद्‌योपांत भूमिका का परीक्षण किया, जिसका रिपोर्ट मंत्रालय के परीक्षण के अधीन है। यह माना जाता है कि यह रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक प्रभावी नियंत्रण बल के रूप में आवश्यक गुणवत्ता के पर्याप्त कर्मचारियों की संख्या नहीं है। यह अनुशंसा की जाती है कि चूँकि एक नया व्यापक उच्च शिक्षा प्रबंधन विधि अधिनियमित है, जिसको समिति सुझाव देती है कि इसे शीघ्र होना चाहिए, यू.जी.सी. अधिनियम को समाप्त करना चाहिए।

8.3.5 यह समिति कहीं पर अनुशंसा की है कि छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु एक पृथक व्यवस्था होनी चाहिए। यू.जी.सी को पुनर्निर्मित, पर्याप्त लचीला बनाया जा सकता है तथा बिना किसी प्रोन्नति या नियंत्रक कार्य किए प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के प्रशासन हेतु केन्द्र बिन्दु हो सकता है।

अब हम दूरस्थ शिक्षा के औचित्य पर विमर्श करेंगे।

1.4 दूरस्थ शिक्षा का औचित्य

एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, भारत सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष के आयु समूह तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बाध्य है। इस बाध्यता की पूर्ति करने हेतु कई कार्यक्रम जैसे प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सभी के लिए शिक्षा आदि आरंभ किए गए हैं। यद्यपि, स्थिति संतोषजनक नहीं है। यहाँ तक कि घटनाक्रम जैसे संविधान का 86वाँ संशोधन 2002 जो अनुच्छेद 21,

45 तथा 51A को संशोधित किया तथा बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम से लोकप्रिय है की क्रियाशीलता का मार्ग प्रशस्त किया। यह भी अपनी निर्धारित तिथि 31 मार्च, 2015 तक संतोषजनक परिणाम नहीं दिया। इसे आगे बढ़ाया गया तथा ऐसे विस्तार भविष्य में भी हो सकते हैं। फिर भी, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का अच्छा पक्ष है कि 1951-2011 के दौरान साक्षरता दर में छः गुणा 12 प्रतिशत से 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बच्चों का नामांकन सार्वभौगिक है। यद्यपि कई दशकों में साक्षरता दर में वृद्धि रही है तथा राष्ट्रीय साक्षरता दर 75 के स्तर के निकट पहुँची है, स्थिति अभी भी 272,290,015 असाक्षरों के साथ भयावह है। इस प्रकार, असाक्षरों की इसकी गणना जो विश्व में सबसे अधिक (यानी एक तिहाई से अधिक, विद्यालय शिक्षा के स्तर पर छोड़ने का दर तथा शिक्षा की गुणवत्ता भारत के लिए गंभीर चिंता का भी विषय है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी स्थिति भिन्न नहीं हैं। वर्षों से उच्च शिक्षा की माँग में वृद्धि रही है। अधिकांश लोग विभिन्न कारणों से उच्च शिक्षा के पहुँच के लिए सक्षम नही हैं। उक्त आयु समूह के केवल 10 प्रतिशत लोगों का उच्च शिक्षा में पहुंच है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के सभी संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता एक समान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बहुत कम उत्कृष्ट संस्थान हैं जबकि हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो अधिकांश संस्थान पिछड़े हैं। परंतु, विगत समय में स्थिति खराब हुई है जब विश्व के उत्कृष्ट 500 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी उच्च शिक्षा संस्थान नहीं आ पाया, यद्यपि इसके बाद भी भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षिक कोटि 2013 द्वारा कोटि निर्धारण में 300 से 400 के बीच कहीं आया। देश में उपलब्ध कई शैक्षिक अवसर अप्रासंगिक पाठ्यचर्या के कारण अनुपयोगी हैं, जिसकी इसके सहायता करने वाली जनसंख्या के लिए कोई उपयोगिता नहीं है। इस संदर्भ में, तीन विशिष्ट शीर्षकों के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा के औचित्य/आवश्यकता पर विमर्श किया जाए।

- बढ़ती संख्या तथा शिक्षा के सीमित पहुँच की समस्या
- शिक्षा की गुणवत्ता
- शिक्षा की प्रासंगिकता

1.4.1 शिक्षा की पहुँच

देश हाल के वर्षों में शिक्षा की पहुँच के सुधार में महत्वपूर्ण प्रगति किया है। कामकाजी आबादी के (15 वर्ष की आयु के ऊपर) विद्यालयी शिक्षा के औसत वर्ष 2000 में 4.19 वर्ष से 2010 में 5.12 वर्ष तक बढ़ा है। प्रौद्योगिक शिक्षा चरण में बच्चों का नामांकन अब सार्वभौमिक स्तरों पर पहुंच गया है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बच्चों का नामांकन की वृद्धि 1990 के दशक में 4.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष से 2009-10 के अंत में 6.27 प्रतिशत प्रति वर्ष तक बढ़ा। युवा साक्षरता 1983 में 60 प्रतिशत से 2009-10 में 91 प्रतिशत तक बढ़ा एवं वयस्क साक्षरता 2001 में 64.8 प्रतिशत से 2011 में 74 प्रतिशत तक सुधार हुआ (भारत सरकार, 2013, पृ.47-48)।

शिक्षा की पहुँच के मुद्दे की परीक्षण किया जाए। वयस्क साक्षरता दर 1991-2011 के मध्य 52 प्रतिशत, 74 प्रतिशत तक बढ़ा। साक्षर लोगों की प्रतिशतता के रूप में, यद्यपि राष्ट्रीय औसत 74 है, महिला साक्षरता दर बिहार में 51 प्रतिशत तथा राजस्थान में 52 प्रतिशत एवं केरल में 92 प्रतिशत की एक व्यापक भौगोलिक विषमता रही है। इस प्रकार लैंगिक विषमता अधिक सचेतक है क्योंकि महिला साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत पुरूष साक्षरता दर 84.1 प्रतिशत की तुलना में कम है। (तालिका 1.1 देखिए)

तालिका 1.1 : राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के अनुसार साक्षरता दर : 1991-2011

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	साक्षरता दर								
		1991			2001			2011		
		महिला	पुरुष	कुल	महिला	पुरुष	कुल	महिला	पुरुष	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	65.5	79.0	73.0	75.2	86.3	81.3	82.4	90.3	86.6
2	आंध्रप्रदेश	32.7	55.1	44.1	50.4	70.3	60.5	59.1	74.9	67.0
3	अरुणाचल प्रदेश	29.7	51.5	41.6	43.5	63.8	54.3	57.7	72.6	65.4
4	असम	43.0	61.9	52.9	54.6	71.3	63.3	66.3	77.8	72.2
5	बिहार	22.0	51.4	37.5	33.1	59.7	47.0	51.5	71.2	61.8
6	चण्डीगढ़	72.3	82.0	77.8	76.5	86.1	81.9	81.2	90.0	86.0
7	छत्तीसगढ़	27.5	58.1	42.9	51.9	77.4	64.7	60.2	80.3	70.3
8	दादर एवं नगर हवेली	27.0	53.6	40.7	43.0	73.3	60.0	64.3	85.2	76.2
9	दमन एवं दीव	59.4	82.7	71.2	70.4	88.4	81.1	79.5	91.5	87.1
10	दिल्ली	67.0	82.0	75.3	74.7	87.3	81.7	80.8	90.9	86.2
11	गोवा	67.1	83.6	75.5	75.4	88.4	82.0	84.7	92.6	88.7
12	गुजरात	48.6	73.1	61.3	58.6	80.5	70.0	69.7	85.8	78.0
13	हरियाणा	40.5	69.1	55.9	45.7	78.5	67.9	65.9	84.1	75.6
14	हिमाचल प्रदेश	52.1	75.4	63.9	67.4	85.4	76.5	75.9	89.5	82.8
15	जम्मू एवं कश्मीर	NA	NA	NA	43.0	66.6	55.5	56.4	76.8	67.2
16	झारखण्ड	-	-	-	38.9	67.3	53.6	55.4	76.8	66.4
17	कर्नाटक	44.3	67.3	56.0	56.9	76.1	66.6	68.1	82.5	75.4
18	केरल	86.1	93.6	89.8	87.9	94.2	90.9	92.1	96.1	94.0
19	लक्षद्वीप	72.9	90.2	81.8	80.5	92.5	86.7	87.9	95.6	91.8
20	मध्यप्रदेश	29.4	58.5	44.7	50.3	76.1	63.7	59.2	78.7	69.3
21	महाराष्ट्र	52.3	76.6	64.9	67.0	86.0	76.9	75.9	88.4	82.3
22	मणिपुर	47.6	71.6	59.9	60.5	80.3	70.5	72.4	86.1	79.2
23	मेघालय	44.9	53.1	49.1	59.6	65.4	62.6	72.9	76.0	74.4
24	मिजोरम	78.6	85.6	82.27	86.8	90.7	88.8	89.3	93.3	91.3
25	नागालैण्ड	54.8	67.6	61.7	61.5	71.2	66.6	76.1	82.8	79.6
26	ओडिसा	34.7	63.1	49.1	50.5	75.4	63.1	64.0	81.6	72.9
27	पुडुचेरी	65.6	83.7	74.7	73.9	88.6	81.2	80.7	91.3	85.8
28	पंजाब	50.4	65.7	58.5	63.4	75.2	69.7	70.7	80.4	75.8

29	राजस्थान	20.4	55.0	38.6	43.9	75.7	60.4	52.1	79.2	66.1
30	सिक्किम	46.7	65.7	56.9	60.4	76.0	68.8	75.6	86.6	81.4
31	तमिलनाडु	51.3	73.8	62.7	64.4	82.4	73.5	73.4	86.8	80.1
32	त्रिपुरा	49.7	70.6	60.4	64.9	81.0	73.2	82.7	91.5	87.2
33	उत्तरप्रदेश	24.4	54.8	40.7	42.2	68.8	56.3	57.2	77.3	67.7
34	उत्तराखण्ड	41.6	72.8	57.8	59.6	83.3	71.6	70.0	87.4	78.8
35	पश्चिम बंगाल	46.6	67.8	57.7	59.6	77.0	68.6	70.5	81.7	76.3
	भारत	**39.3**	**64.1**	**52.2**	**53.7**	**75.3**	**64.8**	**65.5**	**82.1**	**74.0**

नोट : 1) साक्षरता दर 7 वर्ष की आयु की तथा इसके उपर की जनसंख्या से संबंधित है।

2) 1991 की साक्षरता दर में जम्मू कश्मीर सम्मिलित नहीं है तथा 2002 एवं 2011 में मणिपुर के सेनापत जिला के माओ माराम, पाओमाता तथा पुरूल तहसील सम्मिलित नहीं हैं।

स्रोतः महापंजीयक कार्यालय, भारत (http://mospi.nic/mospi_new/uload/man_and_women/chapter%203.pdf)।

जैसा कि उपर उल्लेखित है, भारत कुल वैश्विक असाक्षरों का 37 प्रतिशत (287 मिलियन) असाक्षर वयस्कों की विशाल जनसंख्या का गृह है। विद्यालयी बाह्य बच्चों का 47.78 प्रतिशत लड़कियाँ हैं। अगली जनगणना में वे असाक्षर महिलाओं के रूप में सम्मिलित की जाएँगी तब यह उनके बच्चों की शिक्षा पर एक तरंगित प्रभाव होगा। भारत महिला साक्षरता दर में 135 देशों में 123 वाँ स्थान पर है। विद्यालय शिक्षकों की कुल संख्या में महिलाओं का प्रतिशत 1991 में 29.3 प्रतिशत से 2015-14 में 47.16 प्रतिशत तक पहुँचा है (https://www. oxfamindia. org/education/10-facts-on-illiteracy-in-India-that-you-must-know)।

भारत में 1.4 मिलियन विद्यालय तथा 7.7 मिलियन शिक्षक हैं। 98 प्रतिशत बस्तियों में एक किलोमीटर के अन्दर एक प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I-V) है एवं 92 प्रतिशत बस्तियों में पैदल दूरी पर तीन किलोमीटर के अन्दर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा VI-VIII) है (https://www.brokkings.edu/opinions/primary-education-in-india-progress-and-challenges)। अद्यतन U-DISE आंकड़ा (NUEPA, 2016) के अनुसार सभी स्तरों पर 1,522,346 विद्यालय हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्यालयों में बच्चों का रूकावट अभी भी एक मुद्दा है तथा विद्यालय छोडने का दर उच्च होना जारी है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक विद्यालय के पाँच वर्ष पूर्ण करने के पूर्व 29 प्रतिशत बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं तथा 43 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्ण करने के पहले विद्यालय छोड़ देते हैं। उच्च विद्यालय पूर्ण करने का प्रतिशत 42 है (अर्थात इस स्तर को पूर्ण किए बिना 58 प्रतिशत विद्यालय छोड़ते है)। यह भारत को 6 से 11 वर्ष के 1.4 मिलियन विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या के साथ प्राथमिक विद्यालय की आयु के विद्यालय के बाहर के बच्चों के शीर्ष पाँच राष्ट्रों में स्थापित करता है। केवल 53 प्रतिशत विद्यालयों में महिला शौचालय तथा 74 प्रतिशत में पेयजल की सुविधा है (https://www.brookings.edu/opinions/primary-education-in-india-progress-and-challenges/)।

ये सभी विद्यालयी शिक्षा के पर्याप्त पहुँच की कमी को दर्शाते हैं। यह मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा द्वारा विद्यालय शिक्षा की माँग करते हैं।

उच्च शिक्षा की पहुँच

उच्च शिक्षा का क्षेत्र स्वाधीनता के समय से विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थान तथा कॉलेजों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि का साक्षी रहा है। विश्वविद्यालयों की संख्या 1950 में 20 से 2014 में 677 तक 34 गुणा बढ़ी है। इस क्षेत्र में 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय जिसमें 40 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत हैं, 318 राज्य विश्वविद्यालय, 185 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 129 डीम्ड विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के 51 संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन (आई आई टी.-16, एन आई टी-30, तथा आई आई एस ई आर-5) तथा चार संस्थाओं (विभिन्न राज्य, विधान सभाओं द्वारा स्थापित हैं)। कॉलेजों की संख्या 1950 में केवल 500 से बढ़कर 31 मार्च 2013 तक 37,204 पहुंची, अर्थात 74 गुणा की बहुस्तरीय वृद्धि दर्ज की गई है (https://www.brookings.edu/opinions/primary-education-in-india-progress-and-challenges/)।

भारत में उच्च शिक्षा निःसंदेह एक महत्वपूर्ण विस्तार का गवाह रहा है। संस्थानों की संख्या, विद्यार्थियों का नामांकन तथा सकल नामांकन अनुपात भी बढ़ा है। शिक्षा पर व्यय भी वर्षोंपरांत बढ़ा है। परंतु, यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद के व्यय के प्रतिशत के रूप में नही है। उदाहरण के लिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सरकारी व्यय भारत में विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में कम (4 प्रतिशत) है (सारिणी 1.2 देखिए)।

सारिणी 1.2 : सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सरकारी व्यय का रूझान (विकसित तथा विकासशील राष्ट्र बनाम भारत)

देश	विकसित					देश	विकासशील				
	1985	1996	1999	2006	2008		1985	1996	1999	2006	2008
कनाडा	6.6	7.0	6.0	5.1	5.0	मैक्सिको	3.9	4.9	4.5	5.6	4.9
यूएसए	4.9	5.4	5.0	5.3	5.5	मलेसिया	6.6	5.2	6.1	6.6	4.6
जापान	4.9	3.6	3.5	3.5	3.4	कोलंबिया	2.9	4.4	4.5	4.9	4.1
आस्ट्रेलिया	5.6	3.6	5.1	4.7	4.9	थाईलैण्ड	3.8	4.1	5.1	4.3	6.3
यूके	4.9	5.4	4.6	5.5	5.5	रूस गणराज्य	3.2	4.1	….	3.9	4.0
फ्रांस	5.8	6.1	5.7	5.7	5.5	ब्राजील	3.8	5.2	4.4	4.1	5.3
फिनलैण्ड	5.4	7.6	6.3	6.4	5.9	जमैका	5.7	5.2	….	5.6	6.6
जर्मनी	5.4	4.8	4.5	4.6	4.4	जांबिया	4.7	2.2	2.0	2.1	1.5
डेनमार्क	7.2	8.2	8.2	8.3	7.8	बांग्लादेश	1.9	2.9	2.3	2.6	2.2
कोरिया गण.	4.5	3.7	3.8	4.6	4.2	पाकिस्तान	2.5	3.0	2.6	2.7	2.9
नीदरलैण्ड	6.4	5.2	4.8	5.2	5.4	दक्षिण अफ्रीका	6.0	7.9	6.2	5.5	5.6
इटली	5.0	4.7	4.8	4.5	4.3	चीन	2.5	2.3	1.9	….	….
भारत	**3.4**	**3.4**	**4.0**	**3.3**	**3.2**	**भारत**	**3.4**	**3.4**	**4.0**	**3.3**	**3.2**

नोटः '.....' आँकड़े की अनुपलब्धता का सूचक है।

स्रात : i) यू एन डी पीः मानव विकास रिपोर्ट 1999

ii) ग्लोबल मॉनिटरिन्ग रिपोर्ट (जी एम आर) 2008, 2009, तथा 2011 (http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/40610/12/15_chapter6.pdf देखें)

यद्यपि योजना तथा व्यय वर्षोपरांत बढ़े हैं। सारिणी 1.3 शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रथम से दसवीं पंचवर्षीय योजना तक 50 वर्षों का आँकड़ा प्रस्तुत करती है। **यह प्रारंभिक शिक्षा की तुलना में उच्च शिक्षा पर व्यय के प्रतिशत में कमी को सूचित करता है।**

सारिणी 1.3: पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर परिव्यय एवं व्यय (केन्द्र तथा राज्य /के.प्र.) (रूपये लाख में)

पंचवर्षीय योजना		प्रारंभिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	उच्च शिक्षा	अन्य	तकनीकि शिक्षा	कुल
1th	योजना	930(55)	50(3)	220(13)	**150(9)**	110(6)	230(14)	1690(100)
योजना	व्यय	850(56)	50(3)	200(13)	**140(9)**	90(6)	200(13)	1530(100)
2nd	योजना	930(34)	50(2)	490(18)	**470(17)**	280(10)	510(19)	2730(100)
योजना	व्यय	950(35)	40(1)	510(19)	**480(18)**	230(9)	490(18)	2700(100)
3rd	योजना	2090(37)	60(1)	880(15)	**820(15)**	230(5)	1420(25)	5500(100)
योजना	व्यय	2010(35)	20(0.3)	1030(17.7)	**870(15)**	640(11)	1250(21)	5820(100)
4th	योजना	2560(32)	80(1)	1180(15)	**8130(22)**	1190(15)	1060(15)	8090(100)
योजना	व्यय	2390(31)	60(1)	1400(18)	**1950(25)**	880(11)	1060(14)	7740(100)
5th	योजना	4100(33)	180(1)	2500(20)	**2920(23)**	1220(10)	1560(13)	12480(100)
योजना	व्यय	3170(36)	230(4)	1560(18)	**2050(23)**	660(7)	1070(12)	8840(100)
6th	योजना	9050(37)	1280(5)	3980(16)	**4860(20)**	2450(10)	2780(12)	24400(100)
योजना	व्यय	8900(32)	1534(6)	7430(27)	**5370(19)**	1326(5)	3180(11)	27740(100)
7th	योजना	19640(36)	5490(10)	6680(12)	**4200(8)**	11740(21)	6830(13)	54480(100)
योजना	व्यय	28280(37)	6098(8)	18290(24)	**11900(16)**	632(1)	10850(14)	76050(100)
8th	योजना	92010(47)	15550(8)	34980(18)	**15160(8)**	10440(5)	27860(14)	196000(100)
योजना	व्यय	124240(49)	11707(5)	57890(22)	**23610(9)**	11513(5)	25180(10)	254140(100)
9th	योजना	273630(55)	11020(2)	95260(19)	**43500(9)**	26780(5)	47790(10)	497980(100)
योजना	व्यय	268110(54)	8905(2)	93840(19)	**42890(9)**	33105(7)	46900(9)	493750(100)
10th	योजना	452651(53)	17734(2)	161936(19)	**77112(9)**	61690(7)	85197(10)	856320(100)
योजना	व्यय	649951(67.5)	14037(1.5)	109013(11)	**69543(7.5)**	63670(6.5)	59457(6)	965672(100)

नोटः कोष्टक में आकृति कुल शिक्षा की **योजना** एवं व्यय के प्रतिशत को सूचित करती है।

स्रोत :

1) *Budgetary Resources for Education 1951-52 to 1993-94.* Department of education, MHRD, Government of India.

2) *Analysis of Budgeted Expenditure on Education – Government of India: 1994-95 to 2002.* Department of Education, Ministry of Human Resource Development, New Delhi.

3) *Analysis of Annual Plans of Education Sector during Seventh Plan and Eighth Plan: Education.* Planning Commission, New Delhi.

4) *Financial Progress of Education Sector during Ninth and Tenth Plans.* Education Division, Planning Commission, New Delhi.

5) *Analysis of Budgeted Expenditure on Education: 2002-03 to 2004-05, 2003-04 to 2005-06, 2004-05 to 2006-07.* MHRD, Government of India.

(See IGNOU. 2009: *Five-Year Plans and Adult Education,* Blcok-1 of MAE-002 of MAAE programme. New Delhi: IGNOU).

AISHE (2013-14) के अनुसार 723 विश्वविद्यालय, 36,634 कॉलेज तथा 11,664 संस्थान थे। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 17.5 मिलियन बालक तथा 14.8 मिलियन बालिकाओं के साथ 32.3 मिलियन का अनुमान किया गया है। कुल नामांकन में 46 प्रतिशत बालिकाएँ हैं। भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (स.ना.अनु.) 23.0 है जिसकी गणना 18-23 वर्ष के आयु समूह के लिए की जाती है। पुरूष जनसंख्या का सकल नामांकन अनुपात 23.9 है तथा महिला का 22.0 है। राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात 23.0 की तुलना में अनुसूचित जाति क 17.1 तथा अनुसूचित जनजाति का 11.3 है। लगभग 79 प्रतिशत विद्यार्थी स्नातक स्तरीय कार्यक्रम में नामांकित हैं। स्नातक स्तर पर विद्यालयों की उच्च संख्या (40.4 प्रतिशत) कला/मानवीकि/सामाजिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (17.4 प्रतिशत) वाणिज्य (13.9 प्रतिशत) तथा विज्ञान (13.8 प्रतिशत) में नामांकन है। केवल 107,890 विद्यार्थी शोध में नामांकित हैं जो उच्च शिक्षा में कुल नामांकन का 12.15 प्रतिशत दूरस्थ शिक्षा नामांकन है जिसमें 45.39 प्रतिशत छात्राएँ हैं (भारत सरकार, 2015) 0.4 प्रतिशत से कम है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन में।

सारिणी 1.4 में आप ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में नामांकन दर की वृद्धि देख सकते हैं।

सारिणी 1.4: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में नामांकन की वृद्धि

संस्थान	नामांकन (लाख में)			वृद्धि दर (प्रतिशत)
	2006-07	2011-12	वृद्धि	
इग्नू	4.68	6.97	2.29	8.3
राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	7.77	10.80	3.03	6.8
दूरस्थ शिक्षा संस्थान	14.96	24.24	9.28	10.1
कुल	**27.41**	**42.01**	**14.60**	**8.9**

स्रोत : दूरस्थ शिक्षा परिषद (भारत सरकार, 2013, पृ. 93) (http://planningcommission.nic.in/plans/planned/siveyr/12th/pdf/pdfyp_vo13.pdf)।

भारत सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को बहुत महत्व दिया है, जैसा कि शिक्षा हेतु योगदान में इसकी सहभागिता की उच्च अपेक्षा से प्रमाण मिलता है (देखिए सारिणी 1.5)।

सारिणी 1.5 : बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु स्तर /प्रकार द्वारा निर्धारित नामांकन (विद्यार्थियों की संख्या लाख में)

स्तर/प्रकार	2011-12 अनुमान	2016-17 लक्ष्य	वृद्धि दर (प्रतिशत)
पी.एच.डी.	1	3	24.6
पी.जी. सामान्य	17.3	33.2	13.9
पी.जी तकनीक	.5	12.2	19.5
यू.जी सामान्य	116.6	128	1.9
यूजी तकनीक	45	66	8.0
उप-योग	**184.9**	**242.4**	**5.6**

डिप्लोमा	33	65	14.5
कुल	**217.9**	**307**	**7.1**
मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम	42	52	4.4
कुल योग	**259.9**	**359.4**	**6.7**
जनसंख्या (18-23 वर्ष)	1451.2	1.427.4	–0.1
सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत)	17.9	25.2	

स्रोत : प्लानिंग कमिशन एस्टिमेट्स / टारगेट्स (भारत सरकार, 2013, पृ. 96 (http://planningcommission.nic.in/plan/planned/fiveyr/12th/pdf/12fyp-vo/3.pdf)।

इस स्तर पर, उपरोक्त सारिणी को देखने के बाद आप शायद आश्वस्त हैं कि ये सांख्यिकीय आंकड़े आपके समक्ष क्यों प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ निश्चित कारण हैं क्योंकि वे आपको कुछ स्पष्ट करते हैं :

- शैक्षिक संस्थानों एवं सुविधाओं की संख्या में वृद्धि के बावजूद उक्त आयु समूह के केवल 6 प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं;
- उच्च शिक्षा हेतु बजट कम होता रहा है तथा प्रारंभिक शिक्षा पर सरकार बल दे रही है; तथा
- प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर बल में वृद्धि के साथ संभवतः उच्च शिक्षा की माँग अधिक से अधिक बढ़ेगी।

इस स्थिति में; क्या आप सोचते हैं कि सीमित संसाधनों तथा नियमित कक्षाकक्ष का प्रचलित अभ्यास बढ़ती हुई संख्या को पहुँच प्रदान करने की चुनौतियों को पूर्ण करने में अकेले सक्षम होना संभव हो सकता है? उत्तर स्पष्टतः 'नहीं' है। क्योंकि घटते संसाधनों के कारण अधिक नियमित संस्थानों को खोलना संभव नहीं है जो भवन तथा उपकरणों जैसे विशाल आधारभूत आवश्यकताओं के कारण खर्चीला है। परंतु, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अपने लोगों हेतु उच्च शिक्षा के अवसरों के विस्तार के दबाव को प्रतिसिद्ध नहीं कर सकती है। इसका उत्तर केवल दूरस्थ शिक्षा में निहित है क्योंकि यह केवल अर्थसाध्य न हीं है (उप-भाग 1.4.4 को देखिए। इस की चर्चा खण्ड-4 की इकाई 15 में विस्तार से की गई है।) बहुसंख्य विद्यालयों का समान पहुँच तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की क्षमता एवं लचीलापन है :

- सभी ग्रामीण, जनजातीय तथा नगरीय क्षेत्र,
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो सामान्यतः वित्तीय बाधाओं के कारण कॉलेज जाने में असमर्थ हैं;
- महिला सहित सभी वंचित समूह जो अपनी सामाजिक, भौगोलिक या भौतिक परिस्थितियों के कारण नियमित कॉलेजों में जाने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं; तथा
- कार्यरत व्यक्ति जो बिना मजदूरी या वेतन एवं समय नष्ट किए अपने कौशल, योग्यताओं आदि में सुधार करना चाहते हैं।

इस प्रकार, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में क्षेत्रीय, लैंगिक तथा विषमताओं को पाटने में सहायता हेतु आवश्यक क्षमता एवं विशेषता है; जिसकी चर्चा हम भाग 1.5 में करेंगे।

अपनी प्रगति जाँचें

टिप्पणी : क) अपने उत्तर को नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ख) इकाई अंत में दिए "अपनी प्रगति जाँचें" प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

4) उच्च शिक्षा की पहुँच हेतु दूरस्थ शिक्षा क्यों आवश्यक हैं? व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

1.4.2 शिक्षा की गुणवत्ता

शिक्षा की गुणवत्ता एक सापेक्ष अवधारणा है और इसकी परिभाषा गुणवत्ता की अवधारणा के संदर्भ में ही दी जा सकती है। "गुणवत्ता" शब्द आजकल व्यापक रूप से चर्चित है और इस पर काफी वाद-विवाद हुआ है। कई लेखकों ने इस अवधारणा की अनियत प्रकृति (amorphic nature) का उल्लेख करते हुए पिर्सिग (1974) को उद्‌धृत किया है :

"गुणवत्ता ..... आप जानते हैं कि यह क्या होती है, फिर भी आप नहीं जानते कि वास्तव में यह क्या है। यह कथन स्व-विरोधात्मक लगता है। परन्तु कुछ चीजें अन्य चीजों से अच्छी होती हैं। इसका अर्थ यह है कि गुणवत्ता अधिक है। परन्तु जब आप यह कहने का प्रयास करते हैं कि निरपेक्ष रूप में गुणवत्ता क्या है, अर्थात उन चीजों का संदर्भ के बिना जिनमें यह मिलती है, तो यह प्रश्न गड्‌ढे में गिरने के समान है। संदर्भ बताए बिना इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परन्तु यदि आप यह नहीं बता सकते कि गुणवत्ता क्या है तो आप कैसे जानेंगे कि गुणवत्ता क्या होती है, अर्थात वास्तव में इसका कोई अस्तित्व है भी या नहीं? यदि कोई नहीं जानता कि यह क्या है तो व्यावहारिक दृष्टि से यह है ही नहीं। परन्तु वास्तविकता यह है कि व्यावहारिक तौर पर इसका अस्तित्व है... आप कितना ही मानसिक विश्लेषण करते रहें, यह पता नहीं चलता है कि गुणवत्ता किस चिड़िया का नाम है (पृ. 179)।"

अतः गुणवत्ता विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थ रखती है। गुणवत्ता भी सुन्दरता की भांति है, जो देखने वाले की आँख में निहित होती है। बहरहाल, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का अर्थ पाँच विभिन्न ढंगो से देखा जा सकता है :

- अतिविशिष्ट उच्च मानक के रूप में;
- निरन्तर शून्य दोष युक्त;
- उद्देश्यों के अनुरूप - अर्थात उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक;
- लगाए गए धन की मूल्य-प्राप्ति; और
- रूपान्तकारी, जिसका अर्थ है प्रतिभागियों का रूपांतरण।

शैक्षिक अर्थ में इसकी व्याख्या और निदर्शन निम्न प्रकार से किए जा सकते हैं :

ज्ञान और कौशलों में मानक प्राप्त करने का अर्थ यह होगा कि विद्यार्थी ने दोनों बातों में कुछ हद तक किसी न किसी विषय में निपुणता प्राप्त कर ली है। निपुणता सोचने, बोलने,

लिखने और कार्य करने द्वारा निदर्शित हो सकती है। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति जिसने एम. ए. अर्थशास्त्र में किया है उससे आशा की जाती है कि वह अपनी निपुणता बोलकर या लिखकर या सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर निदर्शित करे। यदि वह इनमें से कुछ भी नहीं कर सके तो उसकी डिग्री का कोई अर्थ नहीं है और यह माना जाना चाहिए कि जिस संस्था ने उसे डिग्री दी है उसका भी कोई स्तर नहीं है। दूसरे शब्दों में, पिर्सिग के उपर्युक्त उत्तेजनात्मक कथन का, जिसमें वह गुणवत्ता को परिभाषित करने में आने वाली कठिनाइयों का जिक्र करता है, यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि "गुणवत्ता" और "मानक" का अस्तित्व होता ही नहीं। "गुणवत्ता" की अन्य विशेषताएँ सार्थक ढंग से सामाजिक-शैक्षिक संदर्भ में परिभाषित की जा सकती हैं और ज्यादातर, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संदर्भ में।

भारत में शिक्षा को हम चाहे जिस भी ढंग से देखें-परखें, यह निश्चित है कि हम स्पष्ट रूप में यह नहीं कह सकते कि देश भर सभी जगह शिक्षा का स्तर बराबर है। इसमें संस्था से संस्था और शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की तुलना करें तो अंतर दिखाई पड़ता है। देश में कुछ विशेष विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं जो बहुत अच्छे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छे भी कहे जा सकते हैं। परन्तु, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हैं। सभी सरकारी संस्थाएँ भी समान स्तर के नहीं कहे जा सकते। सबकी गुणवत्ता में अन्तर मिलता है और यह भी नही देखा गया है कि उच्च गुणवत्ता वाली संस्थाएँ शहरी क्षेत्र के कुछ विशेष भागों में ही स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, इन संस्थाओं में सम्पन्न वर्ग के लोग ही प्रवेश पा सकते हैं। दूसरे शबदों में गुणवत्ता केवल अभिजात वर्ग के संस्थानों तक ही सीमित है। इसके विपरीत, दूरस्थ शिक्षा के द्वारा सभी के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सकती है, क्योंकि इसके द्वारा एक ही प्रकार की अनुदेश सामग्री भिन्न-भिन्न संचार माध्यमों से सभी अध्येताओं को उपलब्ध कराई जाती है। यदि हमें सबको एक ही गुणवत्ता वाली शिक्षा देनी है तो साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए हमें उच्च शिक्षा की पारंपरिक कार्यनीतियों से भिन्न कार्यनीतियाँ अपनानी पड़ेगी।

1.4.3 शिक्षा की प्रासंगिकता

परम्परागत शिक्षा-प्रणाली पर लगाए जाने वाले कुछ आरोप निम्नलिखित हैं :

- प्रचलित शिक्षा-कार्यक्रम/पाठ्यक्रम वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नही हैं;
- उच्च वेतन पाने वाले अध्यापक कुछ सुविधासंपन्न विद्यार्थियों को ही पढ़ाते हैं;
- कक्षा में पढ़ाने की सदियों से चली आ रही शिक्षण विधियाँ पुरानी और प्रभावहीन हो गई हैं;
- पाठ्यक्रम की अवधि, कक्षा में उपस्थिति आदि के संबंध में कठोरता अछूता रहा, और
- उच्च और बढ़िया (स्तरीय) शिक्षा का लाभ कुछ अभिजात वर्ग के लोग ही उठा रहे हैं।

विद्यमान परम्परागत शिक्षा-प्रणाली में सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक आवश्यकताओं के बीच कोई मेल नहीं है। उसी का परिणाम है यह आलोचना; जहाँ अधिक तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है वहाँ कला की शिक्षा दी जा रही है; जहाँ हमें मध्यम स्तर के तकनीशियनों की आवश्यकता है, वहाँ शुद्ध शैक्षिक रूचि वाले स्नातक तैयार किए जा रहे हैं; और जहाँ हमें आवश्यकता है सतत शिक्षा की, जिससे कि व्यावसायिक व्यक्ति अपने ज्ञान को और कौशलों को बढ़ा सकें, उन्हें अद्यतन कर सकें, वहाँ हम सामान्य शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं।

आगे संकायगत 1995-96 की पंजीयन संख्या दी जा रही है जिससे स्पष्ट है कि जहाँ कुल पंजीयन का 40.4 प्रतिशत कला पाठ्यक्रमों में है वहाँ केवल 1.1 प्रतिशत कृषि और 2.3 प्रतिशत शिक्षा में है। (तालिका संकायगत स्त्रियों की दशा भी सोचनीय लगती है; जहाँ 20. 1 प्रतिशत विज्ञान में और केवल 1.2 प्रतिशत इंजीनियरींग और तकनीकी पाठ्यक्रम में हैं। (तालिका 1.6))।

तालिका 1.6 : विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों का पंजीयन (संकायगत) 1991-92 से 1995-96

संकाय	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		वार्षिक वृद्धिदर*
	पंजीयन	कुल %	पंजीयन	कुल %	पंजीयन	कुल %	पंजीयन	कुल %	पंजीयन	कुल %	
कला (प्राच्य विद्या सहित)	2129418	40.4	2238626	40.4	2352970	40.4	2473027	40.4	2592925	40.4	**4.4**
विज्ञान	1033614	19.6	1086353	19.6	1141680	19.6	1199830	19.6	1260200	19.6	**4.4**
वाणिज्य	1154804	21.9	1213688	21.9	1275478	21.9	1340560	21.9	1410119	21.9	**4.4**
शिक्षा	121115	2.3	127304	2.3	133797	2.3	140620	2.3	147720	2.3	**4.4**
इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिक	258028	4.9	271213	4.9	285045	4.9	299583	4.9	315720	4.9	**4.5**
चिकित्सा विज्ञान	179040	3.4	188189	3.4	197786	3.4	207874	3.4	219918	3.4	**4.6**
कृषि	55292	1.1	58120	1.1	61091	1.1	64200	1.1	67990	1.1	**4.6**
पशु चिकित्सा	13356	0.3	13840	0.3	14550	0.3	15288	0.3	16201	0.3	**4.3**
विधि	279092	5.3	293353	5.3	308314	5.3	324038	5.3	342440	5.3	**4.5**
अन्य	42127	0.8	44280	0.8	46538	0.8	48912	0.8	52401	0.8	**4.9**
कुल	**5265886**	**100.0**	**5534966**	**100.0**	**5817249**	**100.0**	**6113929**	**100.0**	**6425624**	**100.0**	**4.4**

नोटः वार्षिक वृद्धि दर पृथक रूप से गणना कर सम्मिलित किया गया है, यह सारिणी के स्रोत के आँकड़ों पर आधारित है।
स्रोतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वार्षिक रिपोर्ट 1995-96

यदि हम सारिणी 1.6 तथा 1.7 में आँकड़ों की तुलना करते हैं, हम देख सकते हैं कि, दस वर्षों में नामांकन की संख्या अध्ययन / शास्त्रों के सभी क्षेत्रों में 1995-96 से 2006-07 तक लगभग दुगुना हो गई है, तथा 1991-92 एवं 1995-96 की तुलना में 2006-07 तथा 2011-12 में इंजीनियरिंग में छः गुणा वार्षिक वृद्धि हुई है, शिक्षा तथा चिकित्सा में तीन गुणा वृद्धि, वाणिज्य एवं प्रबंधन में दो गुणा, अन्य में चार गुणा वृद्धि के साथ शेष क्षेत्र में बहुत कम परिवर्तन है।

शिक्षा की मुख्य आलोचना हैः शिक्षा में अनुप्रयोगात्मक पक्ष का अभाव। ज्यों-ज्यों प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास के कारण माँग बढ़ती है त्यों-त्यों विद्यालयों और माहविद्यालयों को चाहिए कि वे ऐसी पाठ्यचर्चा का अभिकल्पन करें जो समाज की आवश्यकता और समय के अनुरूप हो। आज व्यवसायवाद का युग है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हो रहे निरंतर परिवर्तन के कारण कार्यबल को सतत शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। आज के सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय और औद्योगिक विकास का बल इन बातों पर है :

- अंशकालिक शिक्षा जिसमें अधिगम के लिए अधिक लचीली व्यवस्था हो ताकि युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग नौकरी करने के साथ-साथ पढ़ भी सकें;
- सेवारत लोगों के लिए विशेषीकृत पाठ्यक्रम;
- प्रौढ़ों के लिए बौद्धिक उत्प्रेरण
- परंपरागत (परीक्षा) प्रणाली की औचारिकताओं को पूरा किए बिना प्रमाणीकरण ।

सारिणी 1.7 : ग्यारहवीं योजना के दौरान अध्ययन क्षेत्र-वार नामांकन में वृद्धि (लाख में)

संकाय	2006-07		2011-12		**वृद्धि दर**
	नामांकन	कुल का प्रतिशत	नामांकन	कुल का प्रतिशत	(प्रतिशत)
कला	54.86	39.6	65.78	30.2	3.7
विज्ञान	25.43	18.4	30.57	14.0	3.8
वाणिज्य एवं प्रबंधन	22.87	16.5	34.34	15.8	8.5
शिक्षा	6.21	4.5	13.00	6.0	15.9
इंजीनियरिंग	18.06	13.0	54.68	25.0	24.8
चिकित्सा, नर्सिंग तथा फार्मेसी	5.98	4.3	12.02	5.5	15.0
कृषि एवं पशु चिकित्सा	0.93	0.7	1.21	0.6	5.4
विधि	3.00	2.2	3.48	1.6	3.0
अन्य	1.16	0.8	2.78	1.3	19.1
कुल	**138.5**	**100**	**217.86**	**100**	**9.5**

स्रोत : UGC, AICTE, NCTE एवं INC (भारत सरकार, 2013, पृ. 94)

(http://planningcommission.nic.in/plans/planned/fiveyr/12th/pdf/12fyp_vol3.pdf)

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में उपर्युक्त आवश्यकताओं और माँगों को पूरा करने की क्षमता है। भारत के मुक्त विश्वविद्यालय अध्येताओं के विभिन्न समूहों की आवश्यकताओं के अनुरूप कई प्रकार के पाठ्यक्रम चला रहे हैं। यश्वंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक में तो किसानों के लिए भी पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इग्नू, नई दिल्ली कंप्यूटर, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, स्वास्थ्य विज्ञान, शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि के पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराता है।

1.4.4 शिक्षा की लागत

परंपरागत प्रणाली में शिक्षा की लागत दूरस्थ शिक्षा की तुलना में निश्चित रूप से महंगा है। यह एक सर्वविदित तथा सर्व स्वीकार्य तथ्य है। इसके लिए संस्थागत स्तर तथा विद्यार्थी विशेष स्तर दोंनो में सम्मिलित लागत की प्रकृति एवं प्रकार उत्तरदायी हो सकते हैं। परंपरागत विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अत्यधिक हैं, तथा इस तरह शिक्षा उन सभी के पहुँच में नहीं है जो इसे वहन नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत, दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों का शुल्क व्यापक रूप में संस्थान के अंदर तथा संस्थानों के अनुसार भिन्न होते हैं, लेकिन, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों द्वारा

शिक्षा की लागत सदैव परंपरागत संस्थानों से बहुत कम होता है। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के विद्यार्थी आवास के व्यय तथा नियमित आवागमन के व्यय से मुक्त रहते हैं। सबसे अधिक, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से भिन्न परंपरागत पद्धति के विद्यार्थियों द्वारा लागत या आय के अवसर को त्याग दिया जाता है जो एक महत्वपूर्ण कारक है। दूरस्थ शिक्षार्थी बड़ा लाभ पाते हैं क्योंकि वे अधिगम के दौरान आमदनी भी करते हैं। इस प्रकार, दूरस्थ शिक्षा विद्यार्थियों द्वारा अपनी शिक्षा में निवेश का एक उत्तम विकल्प तथा निश्चित रूप से अधिक अर्थसाध्य है।

संस्थागत स्तर पर, लागत में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्राप्त, उपयुक्त तथा रखरखाव के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधन सम्मिलित हैं। आवश्यक संसाधनों में मानव, वस्तु तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीक सहित यंत्र हैं। ये लागत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं – भूमि, भवन, उपकरण, फर्नीचर आदि पर लागत पूँजी– जो उनके अपेक्षित जीवन की वार्षिक निश्चित लागत हैं तथा राजस्व लागत जो स्वाभाविक रूप से आवर्ती है।

रूम्बल (2001) के अनुसार, किसी व्यवस्था का समष्टि स्तर पर लागत निम्नलिखित कारकों के युग्म द्वारा लिए जाते हैं जिसमें सभी प्रबंधन नियंत्रण के लिए स्वीकार्य हैं :

- प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या
- पाठ्यक्रम का जीवन काल
- चयनित मीडिया एवं प्रौद्योगिकी
- लागत-उत्प्रेरण की कार्य सीमा, उदाहरण के लिए प्रतिलिप्याधिकार सामग्री के उपयोग से बच के रहना।
- जिस सीमा तक विद्यार्थियों पर लागत रखा जाता है या तो शिक्षण के रूप में या व्यवस्था की सीमाओं को परिवर्तित कर ताकि जिन गतिविधियों का संस्थान एक भुगतान कर चुका है अब वह विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा (जैसे शिक्षण तथा पुस्तकालय सेवा का पहुंच)।
- जिस सीमा तक संस्थान पाठ्यक्रम निर्माण तथा विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु सेवा (वैतनिक पद) के लिए संविदा पर लोगों को नियुक्त करता है बजाए कि सेवा की संविदा (अस्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त जिसे पांडुलिपि/लिपि/शिक्षण समय/अंकन आदि के आधार पर भुगतान होगा।
- जिस सीमा तक संस्थान कार्य अभ्यास को अपनाता है जो श्रम मूल्य को कम करता है, उदाहरण के लिए, नई सामग्री निर्माण के बजाए वर्तमान पाठ्यपुस्तक से सामग्री ग्रहण कर पाठ्यक्रम निर्माण करना तथा वृहद पाठ्यक्रम दल प्रतिरूप के बजाए पाठ्यक्रम निर्माण का लेखक-संपादक प्रतिरूप उपयोग।
- प्रति शिक्षक या प्रशासक का विद्यार्थी भार बढ़ाने हेतु तकनीक का उपयोग।
- अन्य कार्यों के साथ शैक्षिक कर्मचारी के शिक्षण भार में वृद्धि करना, उदाहरण के लिए– शोध एवं लोक सेवा, तथा
- श्रमिक स्थानापन्न हेतु श्रमिक-कर्मचारी के खर्च के रूप में विद्यार्थी तथा सहायक श्रमिक द्वारा शैक्षिक श्रम व्यय का प्रतिस्थापन।

एक पूर्णतःविकसित ई-एजुकेशन प्रणाली के संस्थागत व्यय में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकता है :

- ई-सामग्री का विकास
- शिक्षार्थियों को ऑनलाईन अध्यापन (तथा आँकलन)
- वेब साइट की पहुँच
- विद्यार्थी को ऑनलाईन प्रभावित करना
- आधारभूत संरचना तथा सहायता प्रदान करना जिसमें ई-शिक्षा चल सकता है: तथा
- समष्टि स्तर पर ई-शिक्षा की योजना एवं प्रबंधन।

हल्समैन (2000) तथा रूम्बल (2001) द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में अध्ययन उचित संदेह के बाहर स्थापित करता है कि इंटरनेट आधारित पाठ्यसामग्री मुद्रित पाठ्यसामग्री से महंगा (दो गुणा) है; सस्ते मुद्रित एवं श्रव्य मीडिया के साथ।

परंपरागत शिक्षा के साथ मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों या मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की मूल्य प्रभावकता की तुलना में उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

अपनी प्रगति जाँचें

टिप्पणी : क) अपने उत्तर को नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ख) इकाई अंत में दिए "अपनी प्रगति जाँचें" प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

5) दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार सामाजिक रूप से प्रासंगिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है? व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.5 शिक्षा का लोकतांत्रिकरण

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोग केवल शिक्षा व्यवस्था के लोकतांत्रिकरण द्वारा प्रगति कर सकते हैं। लोकतंत्र की सफलता इसके नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करती है। एक सिद्धांत के रूप में यह बल दिया जाता है कि उच्च शिक्षा सहित शिक्षा को इसके महत्वाकांक्षियों को समान अवसर प्रदान करने के लोकतांत्रिक साधनों को अपनाना चाहिए।

1.5.1 शैक्षिक अवसरों की समानता

भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान किया है। सभी व्यक्तियों को प्रगति के लिए उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने, उच्च स्तर, स्थिति, और वेतन पाने तथा समग्र व्यक्तित्व विकास को उनकी पूरी सीमा तक पूर्ण करने हेतु शैक्षिक अवसर करने हेतु प्रदान करने की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता एवं

समानता के आधार पर शिक्षा का अवसर होना चाहिए। इसे उनकी उर्ध्वाधर गतिशीलता, शैक्षिक व्यवसाय एवं अन्य हेतु मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

इस तरह शैक्षिक अवसर की समानता किसी के धर्म, जाति, पंथ, लिंग तथा निवास के आधार पर भेद किए बिना सभी के शिक्षा के प्रावधान को सम्मिलित करता है। इसका अर्थ सभी के लिए शैक्षिक अवसर की समरूपता नहीं है परंतु इसका अर्थ प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धि तथा अभिवृत्ति के अनुरूप सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त अवसर है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 बल देती है कि शिक्षा की समानता का अर्थ हो सभी को न केवल पहुँच यद्यपि सफलता हेतु स्थिति में समान अवसर प्रदान करना है। यह आवश्यक है क्योंकि भौतिक, सामाजिक, लैंगिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा अन्य कारक हैं जो व्यक्तियों के शैक्षिक अवसरों की क्षमता एवं समानता को प्रभावित करते हैं। ये सभी आयु, लिंग तथा शारीरिक योग्यता (निर्योग्यता सहित), व्यक्ति एवं परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्तर, वहन क्षमता आदि है। इस प्रकार, हम असमानता के कई कारण देख सकते हैं।

भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता के महत्वपूर्ण कारणों में सम्मिलित हैं।

a) प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शैक्षिक संस्थानों की समुचित संख्या की अनुपलब्धता।

b) वर्तमान परंपरागत विद्यार्थियों, महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के मानकों में भिन्नता।

c) लोगों में निर्धनता तथा अपनें स्वयं तथा अपने बच्चों हेतु शिक्षा के व्यय का वहन करने की उनकी अक्षमता।

d) शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा में लैंगिक विषमता।

e) समाज के विभिन्न वर्गों विशेषतः अनु. जाति/अनु.जन.जा. सीमांतकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में शैक्षिक विकास की विषमता।

f) वंचित, अलाभन्वित तथा विभिन्न प्रकार से सक्षम बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कमजोर शैक्षिक प्रावधान।

g) शिक्षा की बढ़ती माँग को पूरा करने हेतु परंपरागत शिक्षा प्रणाली की अनुभूत अक्षमता।

जैसा कि आप भाग 1.2.2 से याद कर सकते हैं कि विभिन्न आयोगों, नीतियों तथा समितियों के रिपोर्ट ने समाज के सभी जरूरतमन्द वर्गों हेतु समान अवसर का बढ़ाना तथा इस संबंध में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की भूमिका पर बल दिया है। भाग 1.4 से आप इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा विभिन्न वर्गों के आजीवन अधिगम, शैक्षिक आवश्यकताओं, आकांक्षाओं आदि की पूर्ति के साथ-साथ समता एवं समानता के आधार पर शैक्षिक प्रावधान करने हेतु लोकतांत्रिकरण को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

1.5.2 क्षेत्रीय विषमताओं का लघुकरण

स्वतंत्रता के पश्चात का काल नामांकन, संस्थानों की स्थापना, कार्यक्रमों की विविधता आदि के रूप में उच्च शिक्षा व्यवस्था का असमान विस्तार किया। उच्च शिक्षा की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के साथ तालमेल नहीं बनाया। धीरे-धीरे विस्तार की प्रधानता उच्च शिक्षा से विद्यालयी शिक्षा के विस्तार की ओर चला गया। बहुसंख्य जरूरतमन्द विद्यार्थियों हेतु विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों की स्थापना में भारी व्यय का सम्मिलित होना एक जटिल एवं कठिन कार्य था। जैसा कि आप जानते हैं कि उच्च शिक्षा के औपचारिक प्रणाली पर भारी दबाव पत्राचार पाठ्यक्रम को आरंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया बाद में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा वर्तमान एवं लोकप्रिय रूप मे मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम।

तथापि, माध्यमिक तथा तृतीय (उच्च) स्तर पर शिक्षा की बढ़ी हुई पहुँच के बावजूद क्षेत्रीय विषमताएँ इन स्तरों पर निरंतर रहीं। माध्यमिक स्तर पर अपेक्षाकृत निम्न सकल नामांकन अनुपात (स.ना.अनु.) में व्यापक क्षेत्रीय तथा अंतर्राज्यीय विविधताएँ हैं। प्रमुख राज्यों में माध यमिक स्तर पर स.ना.अन. सबसे कम झारखण्ड में 29 प्रतिशत तथा बिहार में 35 प्रतिशत तथा सबसे अधिक 80 प्रतिशत हिमाचलप्रदेश में तथा 98 प्रतिशत केरल में है जो राष्ट्रीय स्तर (62.7 प्रतिशत) की तुलना में है। उच्च माध्यमिक स्तर पर स.ना.अनु. सबसे कम झारखण्ड में 6.5 प्रतिशत तथा असम में 13 प्रतिशत तथा हरियाणा में 60 प्रतिशत तथा सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में 69 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों जैसे राजस्थान तथा मध्यप्रदेश में सकल नामांकन अनुपात में लैंगिक अंतराल सबसे अधिक 20 प्रतिशत है (भारत सरकार, 2013, पृ. 69)।

सभी स्तरों पर शिक्षा में क्षेत्रीय विषमताएँ कम करने में भारत सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को एक आशाजनक भूमिका निभानी है।

1.5.3 सामाजिक एवं लैंगिक विषमताओं का लघुकरण

शिक्षा की पहुँच में सामाजिक-आर्थिक असमानता में एक महत्वपूर्ण कमी तथा अनु.जा. /अनु.जन.जा. तथा अन्य सामाजिक समूहों में अंतराल की कमी की प्राप्ति की जा चुकी है (भारत सरकार, 2013, पृ. 48)। भारत में उच्च शिक्षा में अभी भी अनुमानित सकल नामांकन अनुपात (GER) 23 प्रतिशत है जो 18-23 वर्ष के आयु समूह के लिए गणना की गई है। अनुसूचित जाति के लिए यह 17.1 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए यह 11.3 प्रतिशत है। अखिल भारतीय स्तर पर पुरूष जनसंख्या के लिए स.ना.अनु. 23.9 प्रतिशत है जबकि अनु.जा. पुरूषों के लिए यह 17.7 प्रतिशत तथा अनु.जन. पुरूषों के लिए यह 12.5 प्रतिशत है। उसी तरह अखिल भारतीय स्तर पर महिला जनसंख्या के लिए स.ना.अनु. 22.0 प्रतिशत है जबकि अनु.जा. महिलाओं के लिए यह 16.4 प्रतिशत है एवं अनु.जन. महिलाओं के लिए यह 10.2 प्रतिशत है। सभी वर्गों में महिलाओं का स.ना.अनु. सबसे अधिक चण्डीगढ़ में 65.6 प्रतिशत है। दिल्ली, गोवा, मणिपुर, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलांगना तथा उत्तराखण्ड में भी महिला जनसंख्या का 30 प्रतिशत से अधिक स.ना.अन. है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में, स.ना.अनु. 18-22 वर्ष की जनसंख्या को सम्मिलित करते हुए गणना की गई है तथा यह अखिल भारतीय स्तर पर 26.6 है (भारत सरकार, 2015)।

AISHE 2013-14 सर्वे (भारत सरकार, 2015) के प्रमुख परिणाम भी स्पष्ट करता है कि उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति है। भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 32.3 मिलियन है जिसमें 17.5 मिलियन बालक तथा 14.8 मिलियन बालिकाएँ हैं। कुल नामांकन में 46 प्रतिशत बालिकाएँ हैं। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन का 12.15 प्रतिशत दूरस्थ शिक्षा का है जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर 45.39 प्रतिशत छात्राएँ हैं। प्रति 100 पुरूष शिक्षकों के लिए केवल 65 मिहिला शिक्षक हैं। प्रति 100 गैर-शैक्षणिक कर्मी में महिलाओं की औसत संख्या लगभग 40 है।

उच्च शिक्षा में वर्तमान लैंगिक अंतराल को और कम करने हेतु, शिक्षा क्षेत्र में व्यय प्रतिशत के यथावश्यक पुनर्वरीयता के साथ सभी शैक्षिक प्रावधानों में सुधार करना आवश्यक है। इसे एक तरफ अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रमों द्वारा बुनियादी शिक्षा हेतु आवंटन में वृद्धि द्वारा संभव बनाया जा सकता है तथा दूसरी तरफ महिला वृहत नामांकन को प्रोत्साहित करने हेतु उच्च स्तरों पर आवंटन को बढ़ाने के साथ बालिका विद्यालय तथा महिला शिक्षा दोनों के प्रत्यक्ष एवं अवसर लागत को कम करने हेतु आवश्यक रणनीतियों द्वारा संभव हो सकता है।

इस इकाई में विमर्श की दृष्टि से भारत तथा विदेश में भावी विकास अधिक उज्जवल हैं।

1.6 सारांश

इस इकाई में, आपने सरकारों की अनुभूत आवश्यकताओं तथा दूरस्थ शिक्षा के प्रोत्साहन में उनके प्रयासों को जाना। यह भारत तथा विदेश में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के उद्भव तथा विस्तार के स्वरूप के साथ आपका परिचय स्थापित कराया। भारत में दूरस्थ शिक्षा बहुसंख्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपरिहार्य माना जाता है। यह लाखों लोगों के उच्च शिक्षा ग्रहण करने का एक साधन है। इसके अतिरिक्त, यह समय एवं स्थान के भेद के बिना सभी को सामाजिक रूप से प्रांसगिक, सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है।

यह भारत में दूरस्थ शिक्षा के नीति-परिप्रेक्ष्य के साथ इसमें निहित औचित्य, शिक्षा के लोकतांत्रिकरण को भी प्रस्तुत किया है। आप विश्लेषण कर सकतें हैं कि भारत में विगत आधी सदी में दूरस्थ शिक्षा संस्थान किस प्रकार धीरे-धीरे अपना क्षेत्र विस्तार किए हैं।

हमने यह भी देखा है कि दूरस्थ शिक्षा के प्रति भारत सरकार की नीति सदैव संरक्षणात्मक रही है। शिक्षा के एक स्वीकार्य माध्यम के रूप में दूरस्थ पद्धति की मान्यता से वर्षोंपरान्त नेटवर्किन्ग तथा संसाधन की साझेदारी के साथ माध्यमिक तथा उच्च दोनों स्तरों पर पूरे देश में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति को स्थापित तथा मजबूत करने में नीति अग्रसर रही। भारत में दूरस्थ शिक्षा के इतिहास में मुक्त विश्वविद्यालयों, मुक्त विद्यालयों की स्थापना तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद का गठन वर्तमान का दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो महत्वपूर्ण विकास है। यह निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि दूरस्थ शिक्षा का भारत तथा विदेश में एक पद्धति के रूप में उज्जवल भविष्य है।

1.7 "अपनी प्रगति जाँचें" प्रश्नों के उत्तर

1) मिल्टन किन्स, यू.के. में 1969 में विश्व में पहला मुक्त विश्वविद्यालय का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा के इतिहास में एक प्रमुख विकास था। यह विकास विभिन्न प्रकार के दूरस्थ शिक्षा संस्थानों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु अवसरों में खुलापन तथा मल्टीमीडिया आधारित स्व-अनुदेशित सामग्री उपयोग के कारण था।

2) i) APOU की स्थापना को इग्नू तथा अन्य राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा अनुकरण किया गया।

   ii) भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों की सामान्य विशेषताओं में उच्च शिक्षा की स्वायत्त संरचना है जो मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों तथा अध्ययन केन्द्रों के व्यापक तंत्र के साथ तीन स्तर में कार्यरत हैं।

   iii) विद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम निर्माण का मुख्य उद्देश्य विद्यालय से वंचित वर्गों, विद्यालय छोड़ने वाले तथा बाहरी विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवसर प्रदान करने के लिए था।

   iv) दूरस्थ शिक्षा द्वारा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है,
   - सेवारत शिक्षकों की सतत वृतिक विकास हेतु, तथा
   - क्षमता निर्माण द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को क्षमता प्रदान करना।

3) स्वाधीनता के वर्षों बाद दूरस्थ शिक्षा के प्रति सतत एवं सहायक नीति रही है। निम्नलिखित प्रमुख नीतिगत विकास हैं :

- 1961 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड दूरस्थ शिक्षा का सुझाव दिया तथा डॉ. डी.एस कोठारी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुशंसा की जो 1962 में आरंभ हुआ।
- शिक्षा आयोग (1964-65) पत्राचार शिक्षा का सुझाव दिया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं पर पुनरोक्ति दिया।
- यू.जी.सी. ने 1974 में पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु दिशा निर्देश जारी किया।
- भारत में दूरस्थ शिक्षा के शीर्ष विकास के रूप में 1985 में इग्नू की स्थापना हुई।
- नई शिक्षा नीति (1986) मुक्त अधिगम पद्धति पर विशेष बल दिया।
- दूरस्थ शिक्षा परिषद (1991) भारत में दूरस्थ शिक्षा को प्रोन्नत, समन्वय तथा मानकों को कायम रखने हेतु इग्नू के अन्दर स्थापित किया गया।
- संशोधित नई शिक्षा नीति (1992) मुक्त अधिगम पद्धति पर बल को दोहराया तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का भी उल्लेख किया।
- दूरस्थ शिक्षा पर CABE समिति (1995) संसाधनों की साझेदारी हेतु भारत में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के एक तंत्र की स्थापना का सुझाव दिया।

4) उच्च शिक्षा में बढ़ती संख्या का मुद्दा तथा माँग में बढ़ोतरी प्रथम कारण है जिसे परंपरागत व्यवस्था पूर्ण करन में असमर्थ थी। इस समस्या का समाधान दूरस्थ शिक्षा में है। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ शिक्षा दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा हेतु पहुँच में सहायता करती है, इसमें महिला तथा समाज के अन्य सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे वंचित समूहों की पहुँच को प्रदान करने की क्षमता है।

5) जब हम सामाजिक रूप से प्रासंगिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, हमारा निश्चित सरोकार प्रायोगिक या व्यवहारिक मूल्य वाली शिक्षा से होता है। इसका अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त कौशल वाली शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। दूरस्थ शिक्षा समाज की आवश्यकताओं को समझकर तथा कार्यक्रमों को विकसित कर यह संभव बनाता है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक तथा आर्थिक रूप से अर्थसाध्य भी होते हैं।

1.8 संदर्भ ग्रंथ

Association of Indian Universities. (1997). *Handbook of Distance Education.* AIU, New Delhi.

Association of Indian Universities. (1998). *University News.* 36(13).

CABE. (1995). *Report of the Committee on Distance Education.* New Delhi

Distance Education Council. (1995). *Open Universities in India.* IGNOU, New Delhi.

Government of India. (1962). *Report of the Expert Committee on Correspondence Courses.* Ministry of Education, New Delhi.

Government of India. (1966). *Education and National Development: Report of the Education Commission, 1964-66.* NCERT, New Delhi.

Government of India. (1986). *National Policy on Education – 1986.* Ministry of Education, New Delhi, p. 29.

Government of India. (1992). *Programme of Action -- 1992, National Policy on Education, 1986 (Revised 1992).* (Reprinted) UGC, New Delhi, p.250.

Government of India. (2009). *National Knowledge Commission — Report to the Nation 2006-2009*. New Delhi.

Government of India. (2013). *Twelfth five year plan (2012-2017): Social Sectors - Volume III.* Planning Commission, New Delhi.

Government of India. (2013). (See http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/12th/ pdf/12fyp_vol3.pdf — Retrieved on 11-09-2016).

Government of India. (2015). *All India Survey on Higher Education (2013-2014).* Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, New Delhi. Available at http://aishe.nic.in/aishe/viewDocument.action?documentId=196.

Government of India. (2016). *National Policy on Education 2016: Report of the Committee for Evolution of New Education Policy*. Ministry of Human Resource Development, New Delhi.

http://mhrd.gov.in/university-and-higher-education — Retrieved on 10-04-2017.

http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/man_and_women/Chapter%203.pdf — Retrieved on 12-04-2016.

http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/12th/pdf/12fyp_vol3.pdf — Retrieved on 17-09-2016.

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/40610/12/15_chapter6.pdf — Retrieved on 10 September, 2016.

http://www.hindustantimes.com/education/experts-worried-about-lack-of-indian-representation-in-global-university-rankings/story-PnB8AeIYbrAEUxobloFpiP.html — Retrieved on 05-02-2017.

http://www.teindia.nic.in/mhrd/50yrsedu/r/2p/8r/2p8r0602.htm — Retrieved on 07-03-2017.

http://www.ugc.ac.in/deb/ — Retrieved on 12-04-2016.

http://www.university.careers360.com/articles/list-of-approved-distance-education-universities-in-india — Retrieved on 27-08-2016.

https://pdfs.semanticscholar.org/bafd/3f3e3e2a87435f7b3ce53c4eb2e348c9725c.pdf — Retrieved on 21-04-2017.

https://www.oxfamindia.org/education/10-facts-on-illiteracy-in-India-that-you-must-know — Retrieved on 20-09-2016.

Hülsmann, T. The Costs of Open Learning: A Handbook, Oldenburg, Bibliothecks-und Informationssystem der Carl von Ossietsky Universität Oldenburg, 2000, quoted in Rumble (2001) mentioned below.

IGNOU. (1985). *IGNOU Act, 1985.* IGNOU, New Delhi.

Koul, B. N. et. al. (1988). *Studies in Distance Education.* AIU, IGNOU, New Delhi.

Koul, B. N. (2000). "Dystopia to Utopia and Beyond: A Case for Distance Education (DE) in Small States" in Proceedings of the University of West Indies Small States Conference, 27-28 July 2000, Ocho Rios, Jamaica. Available at www.col.org/resources/publications/ SmallStates00/2_conf_proc_master.pdf.

Morgan, P. (2000). "Strengthening the Stakes: Combining Distance and Face to Face Teaching Strategies – Preliminary Discussion issues", in conference proceedings of Distance Education in Small States, July 27-28 2000 in Ocho Rios, Jamaica. University of the West Indies/Commonwealth of Learning, 2001. Available at www.col.org/resources/publications/ SmallStates00/2_conf_proc_ Morgan.ppt

Pirsig, R. M. (1974). *Zen and the Art of Motorcycle Maintenance*. Morrow, New York.

Rumble, Greville. (1986). *The Planning and Management of Distance Education,* Croom Helm, London.

Rumble, Greville. (2001). "The costs and costing of networked learning", *JALN*, Volume 5, Issue 2, September, pp.75-96.

Sahoo. P. K. (1994). *Open Learning System,* Uppal, New Delhi.

UNESCO. (1993). *Distance Education in Asia and the Pacific: Country Papers.* NIME, Tokyo.

UNESCO. (1994). *Statistical Yearbook.* UNESCO, Paris.

Yadav, M. S., and Panda, S. K. (1996). Distance Higher Education in India: A Historical Overview, *Journal of Higher Education,* 19(3).

1.9 इकाई अंत अभ्यास

इकाई अंत प्रश्न

यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप अपनी इच्छानुसार संक्षिप्त टिप्पणी अथवा विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार की टिप्पणियाँ अथवा उत्तर परीक्षा हेतु तैयारी के समय आपकी सहायता कर सकते हैं।

1) भारत तथा विश्व में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में ऐतिहासिक विकास के संक्षिप्त स्वरूप को लिखिए। (1000 शब्द)

2) भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के नीति-प्ररिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। (1000 शब्द)

3) भारत में दूरस्थ शिक्षा की प्रोन्नति या विकास के औचित्य की व्याख्या कीजिए। (500 शब्द)

4) भारत में शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कैसे किया जा सकता है? चर्चा करें (500 शब्द)

समीक्षात्मक चिंतन हेतु प्रश्न

1) "भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विकास में कुछ विरूपता रही है।" इस पर अपने चिंतन के साथ कथन को सही ठहराने का प्रयास करें।

2) क्या आप सोचते हैं कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा विश्व में कहीं भी परंपरागत पद्धति के पूर्णतः समानांतर पद्धति हो सकती है? अपने उत्तर को न्यायसंगत ठहराइए।

गतिविधि

भाग 1.5 के आलोक में तथा गूगल सर्च द्वारा वेबसाईट्स से अन्य पठन द्वारा शिक्षा में विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक तथा लैंगिक विषमताओं को सूचीबद्ध कीजिए। दूरस्थ शिक्षा द्वारा इन विषमताओं को कम करने हेतु अपने विचारणीय सुझाव लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....